उत्तरप्रदेशप्रदूषणनियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 दिनॉक
Ref. No 1190267 /सी-2/NGT-07/23 Date 03-03-23

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.
E-mail - judicial-ngt@gov.in

Subject: Submission of Joint Committee report in compliance of directions issued by Hon'ble NGT vide order dated 02.01.2023 in O.A. No. 918/2022 Narendra KushwahaVs Union of India and Ors.

Sir,

In compliance of Hon'ble NGT order dated 02.01.2023 in the matter of O.A. No. 918/2022 Narendra KushwahaVs Union of India and Ors, the report of Joint Committee is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid report of Joint Committee may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajendra Singh)
Chief Environmental Officer
Circle-2

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Factual Report regarding Hon'ble NGT order dated 02/01/2023 in the matter of O.A. No.918/2022, Narendra kushwaha Vs Union of India & Ors.

1. **Background**

Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of Original Application No. 918 of 2022, dated 02/01/2023,Narendra kushwaha Vs Union of India & Ors.directed as below:

1. *Grievance of the applicant Shri Narendra Kushwaha is in Tehsil and District Jhansi at Mouza-Dadiapura with Araji no.1136,1154,155,1163,1164,1165,1168,1206 etc., Mouza-Pichor with Araji Nos. 908,909,910,911,912,917,932,933,934, 935,936,752,753,754, 755, 817,818,819,820,821,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840, 841,842,843,844,760,856 etc., Mouza-Jhansi Khas with Araji No.751 etc., Mouza- Vudha with Araji Nos. 38,123,132,133,297,298,300,304,305 etc. and Mouza-Nayagaon with Araji Nos. 560/8, 560/9, the authorities are illegally allowing encroachment and permitting unauthorized construction over the land shown as green belt and parks as per Jhansi Master Plan of 2001 and 2021 and despite repeated complaints, no action has been taken by Administration. Encroachment and unauthorized construction has been allowed by the District Administration including the officials of Jhansi Development Authority in collusion with private individuals.*
2. *In Hon'ble NGT view before taking any further action in the matter, Factual report be obtained from the concerned authorities for which purpose Hon'ble NGT constitutes a committee comprising of District Magistrate, Jhansi and state PCB. Committee may visit the site and submit a factual report in the matter within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.*
3. *The applicant may serve a set of papers on District Magistrate, Jhansi and State PCB and file affidavit of service within one week.*

2. **Proceedings**

a. In compliance of the above order, Member Secretary, U P Pollution Control Board, Lucknow vide letter dated 10.01.23 (Annexure-1) has nominated Srimati Deepa Arora, Regional Officer, Pollution Control Board, Jhansi as representative of State Board. As per District Magistrate, Jhansi comment/order dated 04.01.2023, site visit is conducted on dated 09.01.23 by ADM(F/R) and Regional officer, Pollution Control Board, Jhansi in the presence of Secretary, Jhansi Development Authority.

b. For the compliance of above, District Magistrate, Jhansi further issued order dated 09.01.2023 to Vice-Chairman, Jhansi Development Authority and Regional Officer, Pollution Control Board, Jhansi to update the proceedings weekly on Friday in the same order he nominated ADM (Namami Gange) as a nodal officer for coordination and monitoring regarding Hon'ble NGT order related to Lakshmi Taal and Master Plan(Annexure-2).

c. As per Hon'ble NGT order, Applicant, Sri Narendra Kuswaha (Environment, R.T.I. & Social activist) has sent 10 point complaint along with list of Araji Nos, Dated 06.01.23. On receipt, Regional Officer, PCB Jhansi issued letter dated 18.01.23 along with this complaint to get reply from authorities concerned (Annexure-3).

d. In compliance of Hon'ble NGT order dated 02.01.23, District Magistrate issued office order dated 31.01.23 for speedy action in the case as per following committee (Annexure-4):

   i. Vice-Chairman, Jhansi development Authority, Jhansi : Chairman
   ii. Nagar Ayukt, Nagar Nigam, Jhansi : Member
   iii. ADM (Namami Gange), Jhansi : Member
   iv. Regional officer, U P Pollution Control Board : Member
   v. Tehsildar, Sadar, Jhansi : Member

e. Meeting of the committee was conducted on dated 08.02.23 to follow up the matter with concerned authorities along with the review meeting regarding Hon'ble NGT O.A. No. 165/2021 Girjashanker rai & ors. Vs state of U.P. & ors. having similar subject as OA no. 918/2022 Narendra kushwaha & ors Vs Union of India &ors.

3. Site Verification

a. During site verification on dated 09.01.23 (Annexure-5), houses found constructed on mentioned land blocks and it was decided by the committee to get the written factual status from the department concerned. Regional Officer, Pollution Control Board issued a letter dated 12.01.23(Annexure-6) to Secretary, Jhansi development Authority to know the land use of concerned Araji nos. in Mouza- Dadiapura, Pichore, Vudha, Jhansi Khas and Nayagaoun area, Completely/Partially unauthorized construction and status of map approval if any and copy to Nagar Ayukt, Nagar Nigam, Jhansi regarding allotment of house numbers to houses of mentioned Araji nos. and SDM, Sadar, Jhansi regarding Sale deed of Araji Nos. of mentioned Mouzas. Thereafter site inspection was conducted

again on Dated 01.03.2023 with District Magistrate Jhansi, Vice Chairman, Jhansi Development Authority and Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Jhansi and as per the order, directions were issued to provide Compliance report. District Magistrate Jhansi has already visited above the mentioned mauzas /proposed city park area in the past as well regarding N.G.T. Orders.

4. **Factual Status Report**

a. In Pursuance to above site verification, Following facts have been brought to the notice through reply letter dated 13-02-2023 received from Incharge, Executive Engineer, Jhansi Development Authority and again latest updated report dated 01-03-2023 received from VC Jhansi Development Authority.
(Annexure-7), (Annexure-8)

- The subject is same as in Hon'ble NGT order 14.12 22 in O.A. No. 165/2021 Girjashanker Rai & ors. Vs state of U.P. & ors for encroachment in and around Lakshmi Taal area.
- As per Hon'ble NGT order in OA no. 165/2021 Girjashanker Rai & ors. Vs state of U.P. & ors. dated 14.12.22, Action has been initiated to remove illegal construction on proposed park land.
- To remove illegal construction on proposed park land under Jhansi master plan 2021, total 115 cases of demolition orders has been issued u/s section 27, 28(1) & 28(2) of U.P. town planning and development Act, 1973 as amended 1997.
- Against above actions, opposite parties of 26 matters have files petition in Hon'ble high court, Allahabad and court has given stay in the matters.
- Authority has tried for demolition action along with police force in the remaining cases but due to opposition by the local people, demolition could not be done.
- The remaining vacant land in the proposed park land of Jhansi Master Plan 2021, in order to impose ban on sale of land sign boards are installed at different places on vacant land.
- On the proposed park land in the Jhansi Master Plan 2021 in the revenue village-Pichore, Dadiapura and Taalpura, there are 2275 illegal construction identified by the survey team. Survey is ongoing in Mauza- Jhansi Civil and Jhansi Khas. At present, there is no illegal construction is going on. Challani action has been

initiated under section 27 of U.P. town planning and development act 1973. Thereafter, in the updated report dated 01.03.20222, it was mentioned that according to Jhansi Master Plan 2021, a city park is proposed in the revenue villages Pichhor, Dadiyapura, Talpura, Jhansi Khas and Jhansi Civil. Out of the land proposed for the city park, the survey team was constituted for 125.74 hectares (private tenants) of land in the revenue village-Pichhor, Dadiyapura and Talpura, despite all the obstacles. In spite of the presence of police force, there was strong protest by the private tenants. Due to shortage of staff in Jhansi Development authority, Jhansi, It took time to complete the survey work. According to the survey, out of 125.74 hectares (private cultivators) land, 25.32 hectares land is vacant, which is situated in scattered manner in different locations. A Total of 2390 buildings were found during the survey, in which action has taken under the relevant sections of the UP Town Planning and Development Act, 1973 (as amended in 1997). The said area is densely populated and about 13000 people reside in it. Due to strong opposition from the residents, the survey work has taken relatively longer time.

- Out of 125.74 hectares of land proposed for city park In Jhansi Master Plan 2021, 100.42 hectares of land has been approved by the Authority Board to make it residential on the basis of development of population there since 1970.

- In place of the proposed city park in Jhansi Master Plan-2021 a city park has been proposed In Jhansi Master Plan 2031 on 210.00 hectares of land in revenue village Bijauli. The proposed green area in Jhansi Master Plan 2021 is 1280.62 hectares, whereas the proposed green area in Jhansi Master Plan 2031 (Draft) is 2325.69 hectares. Regarding the proposed land area, the report of the Associate Planner, Town and Country Planning Department, Divisional Planning Khand, Jhansi can be seen observable. (photocopy attached)
- The survey work is being conducted by the team for Arazi numbers of revenue villages- Jhansi Khas, Vudha and Nayagaon, mentioned in the order dated 02.01.2023 of Hon'ble N.G.T. After the survey and according to the master plan, the land use of Arazi No. 38, 132 and 133 in Revenue Village-Budha is proposed as commercial (central activities-high level). The land use of Arazi No.-123 is proposed as residential (medium density) and the land use of Arazi No.-297, 298, 300, 304 and 305 is proposed as block park.

- Similarly, according to the Jhansi Master Plan 2021, land use of Arazi number-560/8 and 560/9 of Nayagaon revenue village is the proposed as industrial (large scale industry). According to the Jhansi Master Plan 2021, the land use of Arazi number-751 of Jhansi Khas revenue village is the proposed as block park.
- While Continuing with the task of survey of the above revenue villages, the authority has so far surveyed 115 buildings. Out of these area jhansi khas is located amidst densely populated area due to which the survey work in these areas are likely to take 02 Months.

b. As per reply received from revenue department (Tehsildar Sadar, Jhansi) dated 15.02.2023 (Annexure-9).

- At Mauza-Pichore & Dadiapura, the mentioned Araji's are listed as Sankramaneey Land and residence were found during inspection along with partial vacant plots roads.
- Land of Gata No. 751 of Jhansi Khas is Sankramaneey and uses as Kabristan.
- Agriculture activity is going on at land of araji mentioned at Mauza Vudha and land is sankramaneey.
- Residential and partially vacant plots/roads exist on land of araji mentioned at Mauza Nayagaon.

c. As per Hon'ble NGT order, Applicant, Sri Narendra Kuswaha (Environment, R.T.I. & Social activist 10 point complaint, Factual comparative chart is attached(Annexure-10).

Hence most respectfully, the factual status report is submitted as above in compliance of order dated 02.01.2023 of Hon'ble NGT OA No.-918/2022 .

2/3/2023 N.T. Jhansi

(Dr. Lal Krishna)
Tehsildar, Sadar
Jhansi

(Deepa Arora)
Regional Officer
UPPCB, Jhansi

2/3/2023

(Ashok Kumar Singh)
ADM (Namami Gange)
Jhansi

(Pulkit Garg)
Nagar Ayukta
Nagar Nigam, Jhansi

(Alok Yadav)
Vice-Chairmen
Jhansi Development Authority Jhansi

02/03/23

(Ravindra Kumar)
District Magistrate
Jhansi

ANNEXURE-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० Ref. No 487059 /स्था-2/NGT NO-329/23 दिनांक Date 10-01-23

मा० एनजीटी प्रकरण

सेवा में,
जिलाधिकारी,
झांसी ।

विषय—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 के मुख्य अंश निम्नवत हैं :–

".....2 In our view before taking any further action in the matter, let a factual report be obtained from the concerned authorities for which purpose we constitute a Committee comprising of District Magistrate, Jhansi and State PCB. Committee may visit the site and submit a factual report in the matter within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

List for further consideration on 10.03.2023...."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 02.01.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में राज्य बोर्ड से श्रीमती दीपा अरोड़ा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी (मोबाइल–7839891747) को समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। इसके साथ ही आपसे अनुरोध है कि संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में अपने विभाग से संबंधित प्रतिनिधि को नामित करते हुए मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में ससमय आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे कि मा० एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में ससमय आख्या दाखिल की जा सके ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को इस निर्देश के साथ कि संयुक्त समिति के नामित सदस्यों से तत्काल समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र स्थल निरीक्षण कराते हुए मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में ससमय अनुपालन आख्या दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें ।

सदस्य सचिव

Committee letter

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in

10.01.23
ANNEXURE-2

आवश्यक

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी

दूरभाष : 0510-2470556 (O), 0510-2331520 (R),
0510-2443324 (R), 0510-2447111 (Fax)
E-mail- dmjha@up.nic.in

संख्या : 225/ओ.एस.डी. दिनांक : जनवरी 09, 2023

उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण,
क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी।

कृपया साथ में संलग्न मा.नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 02.01.2023 का संज्ञान लें, जो नरेन्द्र कुशवाहा (Original Application No. 918/2022 Narendra Kushwaha Versus Union of India & Ors.) द्वारा मौजा डडियापुरा, पिछोर, झाँसी खास, बूढ़ा एवं नयागांव स्थित कतिपय जमीन, जो झाँसी मास्टर प्लान 2001 एवं 2021 में ग्रीन वेल्ट एवं पार्क दर्शायी गई है, पर अवैध कब्जा/निर्माण के सम्बन्ध में की गई शिकायत से सम्बन्धित है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मा.नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कमेटी बनाकर इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही के बारे में तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश पारित किये गये हैं।

3- चूंकि उक्त प्रकरण में अगली सुनवाई का दिनांक 10.03.2023 नियत है। अतः अपेक्षा की जाती है कि इस सन्दर्भ में अब तक की गई कार्यवाही से अगले शुक्रवार की सायं तक अवगत करायें और इस सन्दर्भ में आगे की जाने वाली साप्ताहिक कार्यवाही से प्रत्येक शुक्रवार की सायं को लिखित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

09/1/23

जिलाधिकारी,
झाँसी

(Imp)
EE
11.1.23

प्रतिलिपिः अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), झाँसी को इस आशय से प्रेषित कि मा.नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से आच्छादित लक्ष्मीताल एवं मास्टर प्लान से सम्बन्धित उक्त के समान प्रकरण में आप नोडल अधिकारी बनाये गये हैं। अतः इस प्रकरण में भी अनुश्रवण कर अनुपालन सुनिश्चित करायें।

09/1/23

जिलाधिकारी,
झाँसी

ANNEXURE-3

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं0 ....
Ref. No. 691/OA-918/NGT/23

दिनांक 18.01.2023
Date.....................20

सेवा में,

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी।
2. श्रीमान् नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी।
3. सचिव झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी।
4. उपजिलाधिकारी, सदर, जनपद–झांसी।
5. अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणांचल विधुत वितरण निगम, झांसी।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–918/2022 (नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य) व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–918/2022 (नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य) व अन्य में दिनांक 02.01.2023 को पारित आदेश के अंश निम्नवत है–

"The Applicant may surve a set of papers on District Magistrate, Jhansi and State PCB and file affidavit of service within one week."

उक्त के अनुकम मे याचिकाकर्ता श्री नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्नालाल कुशवाहा (पर्यावरण एवं आर0टी0आई एवं सामाजिक कार्यकर्ता) निवासी–पिछोर थाना–नबावाद, झांसी द्वारा दिनांक 06.01.2023 को अपनी कुल 10 बिन्दुओ की शिकायत मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी है की प्रतिलिपि कार्यालय का प्रेषित की गयी है। उक्त शिकायत का संदर्भ ग्रहण करते हुये वांछित 10 बिन्दुओ पर अपने विभाग से सम्बन्धित टिप्पणी/कार्यवाही कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे, जिसके आधार पर प्रकरण के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर समयावधि मे मा0 अधिकारण को प्रेषित की जा सके :–

1. बिन्दु संख्या–1, बिन्दु संख्या–2, बिन्दु संख्या–3, बिन्दु संख्या–5, बिन्दु संख्या–7, बिन्दु संख्या–9, बिन्दु संख्या–10 (झांसी विकास प्राधिकारण)।
2. बिन्दु संख्या–2, बिन्दु संख्या–3, बिन्दु संख्या–5, बिन्दु संख्या–8, बिन्दु संख्या–9, बिन्दु संख्या–10 (नगर निगम, झांसी)।
3. बिन्दु संख्या–2, बिन्दु संख्या–3, बिन्दु संख्या–4, बिन्दु संख्या–9, बिन्दु संख्या–10 (उपजिलाधिकारी, सदर, झांसी)।
4. बिन्दु संख्या–8 (दक्षिणांचल विधुत वितरण निगम, झांसी)।
5. बिन्दु संख्या–10 (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी)।

EE
Deepa 6/2/23

भवदीया
Deepa
(दीपा अरोरा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदय, झांसी को सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

Deepa 18.1.23
क्षेत्रीय अधिकारी

1315
07/01/23

दिनांक 06 जनवरी 2023

सेवा में,

1. श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी०सी० –12 वी०, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

2. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
जिला झांसी, उत्तर प्रदेश।

3. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।
उ.प्र. आवास विकास कालौनी, कानपुर रोड़ झांसी, उ.प्र.– 284001

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02 जनवरी 2023 के क्रम में,

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक में वर्णित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आदेश की प्रतिलिपि के साथ मूल आवेदन एवं झांसी महायोजना 2021 में प्रस्तावित नगर पार्क के आराजी संख्या की सूची की प्रतिलिपि संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अर्गिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक 06.01.2023

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

file it
Deepa
7.1.2023

भवदीय

नरेन्द्र कुशवाहा

नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा
(पर्यावरण, आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता)
निवासी– पिछोर थाना नवाबाद झांसी, उत्तर प्रदेश।
मो. 9452041529

Item No. 02

Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(Through Video Conferencing)

Original Application No. 918/2022

Narendra Kushwaha — Applicant

Versus

Union of India & Ors. — Respondent(s)

Date of hearing: 02.01.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Narendra Kushwaha, Applicant in person

ORDER

1. This original application has been filed and registered under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') initiated by Shri Narendra Kushwaha s/o Shri Munna Lal Kushwaha, R/o Pichor Police Station Nawabad Jhansi, Uttar Pradesh. It is alleged that in Tehsil and District Jhansi in Mouza- Dadiapura with Araji Nos. 1136, 1154, 155, 1163, 1164, 1165, 1168, 1206 etc., Mouza- Pichor with Araji Nos. 908, 909, 910, 911, 912, 917, 932, 933, 934, 935, 936, 752, 753, 754, 755, 817, 818, 819, 820, 821, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 760, 856 etc., Mouza- Jhansi Khas with Araji No. 751 etc., Mouza- Vudha with Araji Nos. 38, 123, 132, 133, 297, 298, 300, 304, 305 etc. and Mouza-

Nayagaon with Araji Nos. 560/8, 560/9, the authorities are illegally allowing encroachment and permitting unauthorized construction over the land shown as green belt and parks as per Jhansi Master Plan of 2001 and 2021 and despite repeated complaints, no action has been taken by Administration. Encroachment and unauthorized construction has been allowed by the District Administration including the officials of Jhansi Development Authority in collusion with private individuals.

2. In our view before taking any further action in the matter, let a factual report be obtained from the concerned authorities for which purpose we constitute a Committee comprising of District Magistrate, Jhansi and State PCB. Committee may visit the site and submit a factual report in the matter within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

List for further consideration on 10.03.2023.

A copy of this order be forwarded to District Magistrate, Jhansi and State PCB by e-mail for compliance.

The applicant may serve a set of papers on District Magistrate, Jhansi and State PCB and file affidavit of service within one week.

Sudhir Agarwal, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

January 02, 2023
Original Application No. 918/2022
SN

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या.......... सन् 202

नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य

विषयः— पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हुए अब्दुल करीम आदि द्वारा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु झांसी महायोजना में हरित पट्टी, पार्क, आदि एवं अन्य जन सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भूमियों को आवासीय भूमि दर्शाकर अवैध प्लॉटिंग कर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुवार शिकायत माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है:—

1. यह कि अब्दुल करीम उर्फ सूके पुत्र हाजी खुदा बक्श व जफर राईन पुत्र हाजी अब्दुल करीम निवासी— 325 इतवारीगंज, झाँसी, व अकरम पुत्र यासीन व मुहम्मद यासीन पुत्र वसीर, निवासी— 748/1 शिवाजी नगर तहसील व जिला झाँसी व के .आर. टोकसे नि. होटल हाईवे के पीछे सीपरी बाजार झाँसी व श्रीमती गीता देवी पुत्री ग्याप्रसाद व पत्नी अरविन्द कुमार निवासी— 603 बाहर दतिया गेट झांसी व हरीदास व अर्जुन पुत्रगण स्व. भगवानदास निवासी— पिछोर, नारायण बाग के पास थाना नवाबाद, झांसी, आदि द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हुए झांसी महायोजना में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के हेतु प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, आदि एवं अन्य जन सुविधाओं के उपयोगी हेतु तहसील व जिला झांसी के मौजा— डडियापुरा के आराजी संख्या 1136, 1154, 155, 1163, 1164, 1165, 1168, 1206 आदि व — पिछोर के आराजी संख्या 908, 909, 910, 911, 912, 917, 932, 933, 934, 935, 936, 752, 753, 754, 755, 817, 818, 819, 820, 821, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 760, 856 आदि व मौजा— झांसी खास के आराजी संख्या 751 आदि व मौजा— बूढ़ा के आराजी संख्या 38, 123, 132, 133, 297, 298, 300, 304, 305 आदि व मौजा— नयागॉव के आराजी संख्या 560/8, 560/9 और झांसी तहसील के अन्य मौजा सिमरावारी, खैलार, बिजौली, भोजला आदि के साथ—साथ झांसी जिले की अन्य तहसीलों व मौजों में प्रस्तावित भूमियों पर झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सांठगांठ कर गैर कानूनी रूप से अवैध प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं।

2. यह कि झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, आदि एवं अन्य जन सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भूमियों को आवासीय भूमि दर्शाकर अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले अब्दुल करीम आदि झांसी प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों को घूस/सुविधा शुल्क देकर विकसित की जा रही उक्त अवैध कॉलोनियों में नियम—कानून, नीतियों व उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा—15 का उल्लंघन कर एवं शासकीय योजनाओं और सांसद, विधायक, पार्षद निधि और प्रधानमंत्री आवास योजना—शहरी का दुरुपयोग कर गैर कानूनी रूप से बिजली—पानी और सड़क आदि के विकास कार्य करायें जा रहे, पक्के आवास बनवाऐं जा रहे तथा बिजली, पानी के कनेक्शन दिए जा रहे है।

3. यह कि महायोजनाओं में प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, आदि अन्य जन सुविधाओं के हेतु प्रस्तावित भूमियों के अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियों की रोकथाम और उन्हे हटाये जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा बार–बार आदेश जारी किये गये एवं राज्य सरकार द्वारा शासनादेश जारी कर दिशा–निर्देश दिये गये है। तथा झांसी विकास प्राधिकरण से बिना अनुमति एवं बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण किये जाने पर उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अधीन कार्यवाही का प्राविधान है, इसके बावजूद भी झांसी प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त भूमियों के अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियों की रोकथाम और उन्हे हटाये जाने की कार्यवाही करने के बजाये घूस/सुविधा शुल्क लेकर अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियां विकसित करायीं जा रही है।

4. यह कि झांसी प्रशासन के अधिकारियों की ओर से घूस लेकर उक्त अवैध कॉलोनियों में नियम–कानून व नीतियों का उल्लंघन कर एवं शासकीय योजनाओं का दुरुपयोग कर गैर कानूनी रूप से झांसी विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना बिजली–पानी और सड़क आदि के विकास कार्य करायें जा रहे तथा बिजली, पानी के कनेक्शन दिए जा रहे है जब कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी विकास एवं निर्माण कार्य किए जाने से पूर्व उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

5. यह कि महायोजनाओं में प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, आदि अन्य जन सुविधाओं के हेतु प्रस्तावित भूमियों के अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियों की रोकथाम और उन्हे हटाये जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा बार–बार आदेश जारी किये गये है एवं उक्त आदेशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश जारी कर दिशा–निर्देश दिये गये है कि स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र से संबंधित पार्कों, खेल के मैदानों, खुली जगहों आदि के संबंध में सूची तैयार करने और सूची में पार्कों, खेल के मैदानों, खुली जगहों आदि की वार्डवार/क्षेत्रवार क्रम, संख्या, नाम, अवस्थिति, आकार क्षेत्रफल तथा अन्य सुसंगत सूचनायें तथा सूची रेखांकन मानचित्र, अभिलेख व भू–अभिलेख स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण के अभिलेख कक्ष में निरीक्षण हेतु रखने एवं वेबसाइट पर अपलोड कर जनता को उपलब्ध करायें।

6. यह कि जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणामों से देश को बचाने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से लगातार पर्यावरण संरक्षण बचाने और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है तथा दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है।

7. यह कि हरित पट्टी, पार्क, आदि एवं अन्य जन सुविधाओं के हेतु प्रस्तावित भूमियों को आवासीय भूमि दर्शाकर अधिकारियों से सांठगांठ कर गैर कानूनी रूप से अवैध प्लॉटिंग कर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के कारण झांसी महानगर में हरियाली/भूजल का स्तर गिरता जा रहा है जिससे महानगर में स्वच्छ वायु और पानी की भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। महानगर को स्वच्छ वायु न मिलने के कारण वायु प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है, वायु प्रदूषण बढ़ने से लोगों को कई तरह की जानलेवा गंभीर बीमारियां हो रही है।

8. यह कि हरित पट्टी, पार्क, आदि एवं अन्य जन सुविधाओं के हेतु प्रस्तावित भूमियों पर अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियां विकसित कराने तथा शासकीय योजनाओं का दुरुपयोग कर बिजली–पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराने व बिजली, पानी के कनेक्शन देने वाले

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या 918

सन् 2022

नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य

प्रार्थना

श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों/साक्ष्यों का संज्ञान लेकर निम्नलिखित कार्यवाही करने की कृपा करें:-

1. अब्दुल करीम आदि द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों एवं राज्य सरकार के शासनादेशों तथा उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की अवज्ञा कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, आदि एवं अन्य जन सुविधाओं की भूमियों को आवासीय भूमि दर्शाकर, अवैध प्लॉटिंग कर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों, अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमण को रोकने/हटाने तथा दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।

2. उपरोक्त भूमियों में अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियां विकसित कराने वाले अब्दुल करीम व जफर राईन व अकरम व मुहम्मद यासीन व के .आर. टोकसे श्रीमती गीता देवी व हरीदास व अर्जुन आदि के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित अभिकरण अधिनियम 2010, के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. उपरोक्त भूमियों में अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियां विकसित कराने तथा संरक्षण देने की गतिविधियों में संलिप्त संबंधित कर्मचारियों-अधिकारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित अभिकरण अधिनियम 2010, के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. उपरोक्त भूमियों में अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों में नियम कानून व नीतियों का उल्लंघन कर एवं शासकीय योजनाओं व सांसद, विधायक, पार्षद निधि का दुरुपयोग कर गैर कानूनी रूप से बिजली-पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराने व बिजली, पानी के कनेक्शन देने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास बनवाने की गतिविधियों में संलिप्त संबंधित कर्मचारियों-अधिकारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित अभिकरण अधिनियम 2010, के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।

5. पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु महायोजनाओं में प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, आदि एवं अन्य जन सुविधाओं की भूमियों के अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से बिजली-पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराने एवं बिजली, पानी के कनेक्शन देने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास बनवाने की गतिविधियों की रोकथाम हेतु केन्द्र व राज्य सरकार को आदेशित करने की कृपा करें।

6. पर्यावरण एवं न्यायहित में अन्य कोई कार्यवाही जो माननीय न्यायाधिकरण सही तथा उचित समझे कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक 20.12.2022

भवदीय

नरेन्द्र कुशवाहा

नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा
(पर्यावरण, आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता)
निवासी- पिछोर थाना नवाबाद झांसी, उत्तर प्रदेश।
मो. 9452041529

वाले भ्रष्ट कर्मचारियों–अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न होने के कारण लगातार उपरोक्त भूमियों पर अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं।

9. यह कि माननीय न्यायालयों एवं शासनादेशों के बावजूद झांसी प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से उक्त शासनादेशों के क्रम में आज तक कार्यवाही नहीं गई है जिसका लाभ उठाकर भू–माफिया एवं अब्दुल करीम आदि द्वारा प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, आदि एवं अन्य जन सुविधाओं के हेतु प्रस्तावित भूमियों को आवासीय भूमि दर्शाकर प्लॉट काटकर बेचा जा रहा और अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही है।

10. यह कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण के बुरे परिणामों से बचाने हेतु महायोजनाओं में प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, खेल के मैदान, खुली जगह आदि की भूमियों को आवासीय भूमि दर्शाकर प्लॉट काटकर बेचने और अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के विरुद्ध तथा उक्त भूमियों के अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियों में नियम–कानून व नीतियों का उल्लंघन कर एवं शासकीय योजनाओं व सांसद, विधायक, पार्षद निधि का दुरुपयोग कर गैर कानूनी रूप से बिजली–पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराने व बिजली, पानी के कनेक्शन देने वाले तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास बनवाने वाले भ्रष्ट कर्मचारियों–अधिकारियों के विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यबाही किया जाना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी, से निवेदन है कि झांसी महायोजना में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु हरित पट्टी, पार्क, आदि एवं अन्य जन सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भूमियों को झांसी विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों से सांठगांठ कर आवासीय भूमि दर्शाकर अवैध प्लॉटिंग कर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को रोकने/हटाने की एवं इन अवैध कॉलोनियों को विकसित करने वाले अब्दुल करीम व जफर राईन व अकरम व मुहम्मद यासीन व के.आर. टोकसे श्रीमती गीता देवी व हरीदास व अर्जुन आदि की और इन अवैध कॉलोनियों को विकसित कराने, संरक्षण देने और उक्त अवैध कॉलोनियों में नियम–कानून व नीतियों का उल्लंघन कर एवं शासकीय योजनाओं व सांसद, विधायक, पार्षद निधि का दुरुपयोग कर गैर कानूनी रूप से बिजली–पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराने व बिजली, पानी के कनेक्शन देने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास बनवाने की गतिविधियों में संलिप्त संबंधित कर्मचारियों–अधिकारियों पर अधिक से अधिक अर्थदंड लगाकर उचित कठोर वैधानिक कार्यवाही करने का आदेश पारित करें, जिससे महायोजना में अंकित पार्क, खुले क्षेत्र, हरित पट्टी की भू–उपयोग वाली भूमियों पर किये गये व किये जा रहे अवैध निर्माणों से हो रही पर्यावरण की अपूर्णीय क्षति को रोका जा सके एवं इन अवैध निर्माणों से हो रही पर्यावरण की क्षति की भरपाई की जा सके और पुनः ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो। इस कृपा के लिए हम समस्त झांसी महानगर वासी सदैव आपके आभारी रहेंगे।

दिनांक 20.12.2022

भवदीय

नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा
(पर्यावरण, आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता)
निवासी– पिछोर थाना नवाबाद झांसी, उत्तर प्रदेश।
मो. 9452041529

ANNEXURE-4

01/02/23

कार्यालय ज्ञाप

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र संख्या 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अन्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 02.01.2023 के द्वारा मौजा डडियापुरा, पिछोर, झाँसी खास, बूढा एवं नयागांव स्थित कतिपय जमीन, जो मास्टर प्लान 2001 एवं 2021 में ग्रीन वेल्ट एवं पार्क दर्शायी गयी है, पर अवैध कब्जा/निर्माण के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या 225/ओ0एस0डी0 दिनांक 09.01.2023 के द्वारा समिति गठित करते हुये प्रकरण में अब तक की गयी कार्यवाही से अगले शुक्रवार तक अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु झाँसी विकास प्राधिकरण व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है। मा0 ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष अगली सुनवाई हेतु 10.03.2023 नियत है। चूंकि प्रकरण मा0 न्यायालय से आच्छादित होने के कारण त्वरित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अतएव उक्त प्रकरण में समयान्तर्गत कार्यवाही कराये जाने हेतु पूर्व समिति अवकमित करते हुये निम्नवत समिति गठित की जाती है–

1. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी। (अध्यक्ष)
2. नगर आयुक्त, नगर निगम झाँसी। (सदस्य)
3. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे) झाँसी। (सदस्य)
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.झाँसी। (सदस्य)
5. तहसीलदार, झाँसी। (सदस्य)

उपरोक्तानुसार गठित समिति प्रश्नगत प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कराते हुये संयुक्त आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध करायेगी।

Put up 6/2/23

EE
1.2.23

/
जिलाधिकारी
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी

संख्याः 62 /23–स्था0नि0लि0–एनजीटी /2022–23 दिनांक 31/01/2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम झाँसी।
3. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे) झाँसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी।
5. तहसीलदार झाँसी।

जिलाधिकारी
झाँसी।

ANNEXURE-5

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–918/2022 (नरेन्द कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य) व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 के अनुपालन मे स्थलीय निरीक्षण आख्या।

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ मे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–918/2022 (नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य) व अन्य में दिनांक 02.01.2023 मे पारित आदेश के अंश निम्नवत है :–

"It is alleged that in Tehsil and District Jhansi in Mouza- Dadiapura with Araji Nos. 1136, 1154, 155, 1163, 1164, 1165, 1168, 1206 etc., Mouza- Pichor with Araji Nos. 908, 909, 910, 911, 912, 917, 932, 933, 934, 935, 936, 752, 753, 754, 755, 817, 818, 819, 820, 821, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 760, 856 etc., Mouza- Jhansi Khas with Araji No. 751 etc., Mouza- Vudha with Araji Nos. 38, 123, 132, 133, 297, 298, 300, 304, 305 etc. and Mouza-Nayagaon with Araji Nos. 560/8, 560/9, the authorities are illegally allowing encroachment and permitting unauthorized construction over the land shown as green belt and parks as per Jhansi Master Plan of 2001 and 2021 and despite repeated complaints, no action has been taken by Administration. Encroachment and unauthorized construction has been allowed by the District Administration including the officials of Jhansi Development Authority in collusion with private individuals."

उपरोक्त के दृष्टिगत दिनांक 09.01.2023 को एक संयुक्त निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय भू–खण्डो पर मकान/भवन निर्मित पाये गये, मौके पर भवनो की फोटोग्राफ लिये गये, अवगत कराना है कि प्रकरण मौजा–डडियापुरा, पिछोर, बूढ़ा, झांसी खास एवं नयागांव के संदर्भित आराजी संख्याओ से सम्बन्धित है। याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित मौजाओं मे ग्रीन वैल्ट/पार्क हेतु अवलोकित भू–खण्डो पर अनाधिकृत निर्माण किये जाने की शिकायत की गयी है, अतः भवनो के निर्माण के सम्बन्ध मे झांसी विकास प्राधिकरण, राजस्व विभाग और नगर निगम से प्रकरण के सम्बन्ध मे उनका पक्ष प्राप्त किया जाना उचित होगा। उक्त के अनुकम मे झांसी विकास प्राधिकरण से निम्न बिन्दुओ पर विवरण/आख्या उपलब्ध प्राप्त किया जाना उचित होगा।

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा सन्दर्भित विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–918/2022 (नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य) व अन्य में अंकित मौजा–डडियापुरा, पिछोर, बूढ़ा, झांसी खास एवं नयागांव के सन्दर्भित आराजी संख्यावार आपके विभाग में दर्शाये गये भूमि के प्रकार के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध करायें।
2. उपरोक्त सन्दर्भ में संयुक्त निरीक्षण दिनांक–09.01.2023 को भूखण्डो पर अदतन स्थिति के सम्बन्ध में लिये गये फोटो ग्राफ आदि को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. उपरोक्त सन्दर्भित आराजी संख्या में से झांसी महायोजना 2001 एवं 2021 में यदि हरित पट्टीका/पार्क अंकित है तो विवरण उपलब्ध कराये।
4. क्या उपरोक्त भूखण्डों में कुल या आंशिक रूप से अनाधिकृत निर्माण एवं अतिकमण हुआ है तो विवरण उपलब्ध कराये।
5. उपरोक्त सन्दर्भित आराजी संख्याओं पर निर्मित भवनों का मानचित्र आपके स्तर से स्वीकृत किया गया है तो विवरण उपलब्ध करायें।
6. उपरोक्त सन्दर्भित आराजी संख्याओं पर निर्मित भवनों का यदि मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया है तो आपके स्तर से उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है।

नगर आयुक्त, नगर निगम झांसी को इस आशय से प्रेषित कि मौजा–डडियापुरा, पिछोर, बूढ़ा, झांसी खास एवं नयागांव के सन्दर्भित आराजी संख्या में कितने भवनों को नगर निगम द्वारा भवन संख्या निर्गत की गयी है विवरण उपलब्ध करायें।

उपजिलाधिकारी, तहसील–सदर, जनपद–झांसी को इस आशय से प्रेषित कि मौजा–डडियापुरा, पिछोर, बूढ़ा, झांसी खास एवं नयागांव के सन्दर्भित आराजी संख्या में प्रथम बैनामा किस नाम से हुआ है विवरण उपलब्ध करायें, उपरोक्त आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Deepa 18.1.23

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

ANNEXURE-6

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं0 .... दिनांक 12.01.2023
Ref. No. 673/OA-918/NGT/23 Date........20

सेवा में,

सचिव
झांसी विकास प्राधिकरण,
झांसी।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–918/2022 (नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य) व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–918/2022 (नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य) व अन्य में दिनांक 02.01.2023 को पारित आदेश के अंश निम्नवत है–

"It is alleged that in Tehsil and District Jhansi in Mouza- Dadiapura with Araji Nos. 1136, 1154, 155, 1163, 1164, 1165, 1168, 1206 etc., Mouza- Pichor with Araji Nos. 908, 909, 910, 911, 912, 917, 932, 933, 934, 935, 936, 752, 753, 754, 755, 817, 818, 819, 820, 821, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 760, 856 etc., Mouza- Jhansi Khas with Araji No. 751 etc., Mouza- Vudha with Araji Nos. 38, 123, 132, 133, 297, 298, 300, 304, 305 etc. and Mouza-Nayagaon with Araji Nos. 560/8, 560/9, the authorities are illegally allowing encroachment and permitting unauthorized construction over the land shown as green belt and parks as per Jhansi Master Plan of 2001 and 2021 and despite repeated complaints, no action has been taken by Administration. Encroachment and unauthorized construction has been allowed by the District Administration including the officials of Jhansi Development Authority in collusion with private individuals."

उक्त के सम्बन्ध में माननीय राष्टीय हरित अधिकरण में आदेश दिनांक 02.01.2023 में जिलाधिकारी, झांसी एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समिति गठित करते हुये प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिर्पोट 02 माह के अन्दर प्रेषित करने हेतु आदेशित करते हुये राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, झांसी के आदेश दिनांक 04.01.2023 द्वारा उपरोक्त प्रकरण को संदर्भित किया गया है। उक्त के अनुकम में आपके विभाग से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर विवरण/आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा सन्दर्भित विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–918/2022 (नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य) व अन्य में अंकित मौजा–डडियापुरा, पिछोर, बूढ़ा, झांसी खास एवं नयागांव के सन्दर्भित आराजी संख्यावार आपके विभाग में दर्शाये गये भूमि के प्रकार के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध करायें।
2. उपरोक्त सन्दर्भ में संयुक्त निरीक्षण दिनांक–09.01.2023 को भूखण्डो पर अद्‌तन स्थिति के सम्बन्ध में लिये गये फोटो ग्राफ आदि को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. उपरोक्त सन्दर्भित आराजी संख्या में से झांसी महायोजना 2001 एवं 2021 में यदि हरित पट्टीका/पार्क अंकित है तो विवरण उपलब्ध कराये।
4. क्या उपरोक्त भूखण्डों में कुल या आंशिक रूप से अनाधिकृत निर्माण एवं अतिकमण हुआ है तो विवरण उपलब्ध कराये।

5. उपरोक्त सन्दर्भित आराजी संख्याओं पर निर्मित भवनों का मानचित्र आपके स्तर से स्वीकृत किया गया है तो विवरण उपलब्ध करायें।
6. उपरोक्त सन्दर्भित आराजी संख्याओं पर निर्मित भवनों का यदि मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया है तो आपके स्तर से उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त बंछित बिन्दुओं के सम्बन्ध वितृत विवरण एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण हेतु इस कार्यालय से श्री मनोज कुमार चौरसिया, पर्यावरण अभियन्ता(मों0–7839891925) को नामित किया गया है। जिसके आधार पर संकलन कर तत्थ्यामक रिर्पाट तैयार कर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को ससमय प्रेषित की जा सके।

(दीपा अरोरा)
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदय, झांसी को सूचनार्थ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम झांसी को इस आशय से प्रेषित कि मौजा–डडियापुरा, पिछोर, बूढा, झांसी खास एवं नयागांव के सन्दर्भित आराजी संख्या में कितने भवनों को नगर निगम द्वारा भवन संख्या निर्गत की गयी है विवरण उपलब्ध करायें।
3. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), झांसी/अपर जिलाधिकारी, नमामी गंगे, झांसी को सूचनार्थ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. उपजिलाधिकारी, तहसील–सदर, जनपद–झांसी को इस आशय से प्रेषित कि मौजा–डडियापुरा, पिछोर, बूढा, झांसी खास एवं नयागांव के सन्दर्भित आराजी संख्या में प्रथम बैनामा किस नाम से हुआ है विवरण उपलब्ध करायें।

12-1-23

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

ANNEXURE-7

कार्यालय, झाँसी विकास प्राधिकरण

प्रेषक,

प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
झांसी विकास प्राधिकरण,
झांसी

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
झांसी।

पत्रसं0-4848/जे0डी0ए0/2022-23/ दिनांक 13 फरवरी, 2023

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-918/2022 (नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य) व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में कार्यवाही कर वांछित आख्या प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रस्तावित नगर पार्क/पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने व हटाने हेतु की जा रही कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :-

1. झांसी महायोजना 2021 में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर अवैध निर्माणों को रोकने हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की धारा 27 व 28 (1) व 28 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 115 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये। 42 प्रकरण आयुक्त, झांसी मण्डल झांसी के न्यायालय में विचाराधीन हैं।
2. प्राधिकरण द्वारा की गयी उपरोक्त कार्यवाही के विरूद्ध विपक्षी द्वारा 26 प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर किये गये हैं, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है।
3. प्राधिकरण द्वारा शेष प्रकरणों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ क्षेत्र में जाकर कई बार प्रयास किये गये हैं, किन्तु स्थानीय निवासियों के प्रबल विरोध के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं हो सकी।
4. झांसी महायोजना-2021 में प्रस्तावित नगर पार्क/पार्क की रिक्त भूमि पर निर्माण कार्य न हो तथा भूमि के विक्रय को रोकने के उद्देश्य से स्थल की रिक्त भूमि पर कई स्थलों पर साईन बोर्ड लगाये गये हैं।

क्रमश.............

5. झांसी महायोजना–2021 में राजस्व ग्राम–पिछोर, डड़ियापुरा व तालपुरा, झांरी में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर किये गये अनाधिकृत निर्माणों के सर्वे का कार्य टीम गठित कर पूर्ण कर लिया गया है, सर्वे के अनुसार 2275 अनाधिकृत निर्माण पाये गये, जिसमें लगभग 13000 लोग निवासरत हैं एवं मौजा–झाँसी सिविल एवं झांसीखास में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में कोई नया अनाधिकृत निर्माण नहीं हो रहा है। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। (फोटोग्राफ संलग्न है।)
6. झांसी महायोजना 2021 में लक्ष्मीताल के निकट प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि का रकवा 170.48हे0 है, जो मौजा पिछोर, तालपुरा व डड़ियापुरा में स्थित है। प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि में 44.74हे0 शासकीय भूमि है इस पर नारायण बाग के नाम से नगर पार्क पूर्व से विकसित है। प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि में शेष भूमि निजी काश्तकारों की है, जिसमें 25.31हे0 भूमि वर्तमान में रिक्त है।

तत्क्रम में आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि

13.02.2023

प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

Annexure-8

कार्यालय झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

प्रेषक,

उपाध्यक्ष
झाँसी विकास प्राधिकरण
झाँसी।

ADM(J)/RO UPPCB

सेवा में,

जिलाधिकारी
झाँसी।

02/3/23
जिलाधिकारी,
झाँसी

संख्या– 5179 / जे.डी.ए. / मा0रा0हरि0अधि0 / (2022–23)   दिनांक 01 मार्च 2023

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर E.A. No. 38/2022, O.A. No. 165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य व मूल प्रा0पत्र संख्या–114/2021 नरेन्द्र कुशवाहा व अन्य अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मूल प्रार्थना पत्र संख्या 165/2021 गिरजाशंकर राय आदि बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य एवं मूल प्रा0पत्र संख्या–114/2021 नरेन्द्र कुशवाहा व अन्य अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य प्रस्तुत किया गया था। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 14.09.2022, 10.10.2022 14.12.2022 एवं 02.01.2023 के क्रम में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :–

1. झांसी महायोजना 2021 में लक्ष्मी ताल के निकट नगर पार्क हेतु प्रस्तावित 125.74हे0 भूमि (निजी कास्तकार) में से 100.42हे0 भूमि में वर्ष 1970 से अब तक आबादी विकसित हो जाने के आधार पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इसे आवासीय किये जाने का अनुमोदन दिया गया है।
2. अवैध निर्माण को रोकने हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिसमें 115 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये हैं, जिनमें से 42 प्रकरण आयुक्त, झांसी मण्डल झांसी के न्यायालय में विचाराधीन हैं।
3. प्राधिकरण द्वारा पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा 26 प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर किये गये हैं, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है।
4. झांसी महायोजना–2021 में प्रस्तावित नगर पार्क की रिक्त भूमि पर अनाधिकृत निर्माण तथा भूमि के विक्रय को रोकने के उद्देश्य से स्थल की रिक्त भूमि पर साईन बोर्ड लगाये गये हैं।
5. झांसी महायोजना 2021 के अनुसार राजस्व ग्राम पिछोर, डड़ियापुरा, तालपुरा, झांसी खास एवं झांसी सिविल में नगर पार्क प्रस्तावित किया गया है। नगर पार्क हेतु प्रस्तावित राजस्व ग्राम–पिछोर, डड़ियापुरा एवं तालपुरा की भूमि 170.48हे0 है, जिसमें 44.74हे0 शासकीय भूमि है इस पर नारायण बाग के नाम से नगर पार्क पूर्व से विकसित है। शेष 125.74हे0 (निजी कास्तकारों) भूमि पर सर्वेक्षण टीम गठित कर पुलिस बल के साथ सर्वेक्षण का कार्य किया गया, जिसमें निजी कास्तकारों द्वारा प्रबल विरोध किये जाने एवं विकास प्राधिकरण कार्यालय में स्टाफ की कमी के कारण सर्वेक्षण का कार्य करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार 125.74हे0 (निजी कास्तकारों) भूमि में से 25.32हे0 भूमि

रिक्त है, जो अलग–अलग टुकड़ों में स्थित है। सर्वेक्षण में कुल 2390 भवन पाये गये, जिसमें उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। उक्त क्षेत्र में लगभग 13000 लोग निवासरत हैं। यह क्षेत्र घनी एवं मिश्रित आबादी के बीच बसा हुआ है, वहां के निवासियों द्वारा प्रबल विरोध किया जा रहा है।

6. झांसी महायोजना–2021 में राजस्व ग्राम पिछोर, डड़ियापुरा एवं तालपुरा में प्रस्तावित नगर पार्क (नारायण बाग को छोड़कर) 100.42हे0 के स्थान पर झांसी महायोजना 2031 में राजस्व ग्राम बिजौली में 210.00हे0 भूमि में नगर पार्क प्रस्तावित किया गया है। झांसी महायोजना 2021 में प्रस्तावित ग्रीन एरिया 1280.62हे0 है, जबकि झांसी महायोजना 2031 (ड्राफ्ट) में प्रस्तावित ग्रीन एरिया 2325.69हे0 है। प्रस्तावित क्षेत्रफल के सम्बन्ध में सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, सम्भागीय नियोजन खण्ड, झांसी की आख्या अवलोकनीय है। (छायाप्रति संलग्न है)
7. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02.01.2023 में उल्लिखित राजस्व ग्राम–झांसी खास, बूढ़ा एवं नयागांव के आराजी संख्याओं का टीम द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, सर्वेक्षण उपरान्त एवं झांसी महायोजना 2021 के अनुसार **राजस्व ग्राम–बूढ़ा** में आराजी संख्या–38, 132 एवं 133 का भू–उपयोग प्रस्तावित व्यवसायिक (केन्द्रीय क्रियायें–उच्च स्तर) है, आराजी संख्या–123 का भू–उपयोग प्रस्तावित आवासीय (मध्यम घनत्व) है एवं आराजी संख्या–297, 298, 300, 304 एवं 305 का भू–उपयोग प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क है।
8. इसी प्रकार **राजस्व ग्राम–नयागांव** के आराजी संख्या–560/8 एवं 560/9 का झांसी महायोजना 2021 के अनुसार भू–उपयोग प्रस्तावित उद्योग (वृहद उद्योग) है। **राजस्व ग्राम झांसी खास** के आराजी संख्या–751 का झांसी महायोजना 2021 के अनुसार भू–उपयोग प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क है। उक्त राजस्व ग्रामों में प्रखण्डीय पार्क में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
9. प्राधिकरण द्वारा उक्त राजस्व ग्रामों के सर्वेक्षण का कार्य करते हुये अब तक 115 भवनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इन क्षेत्र में से झांसी खास का क्षेत्र घनी एवं मिश्रित आबादी के बीच बसा हुआ है, इन क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने में लगभग 02 माह का समय लगने की सम्भावना है।

<u>संलग्न–उपर्युक्तानुसार</u>

भवदीय

(आलोक यादव)
उपाध्यक्ष
झांसी विकास प्राधिकरण,
झांसी

JCB

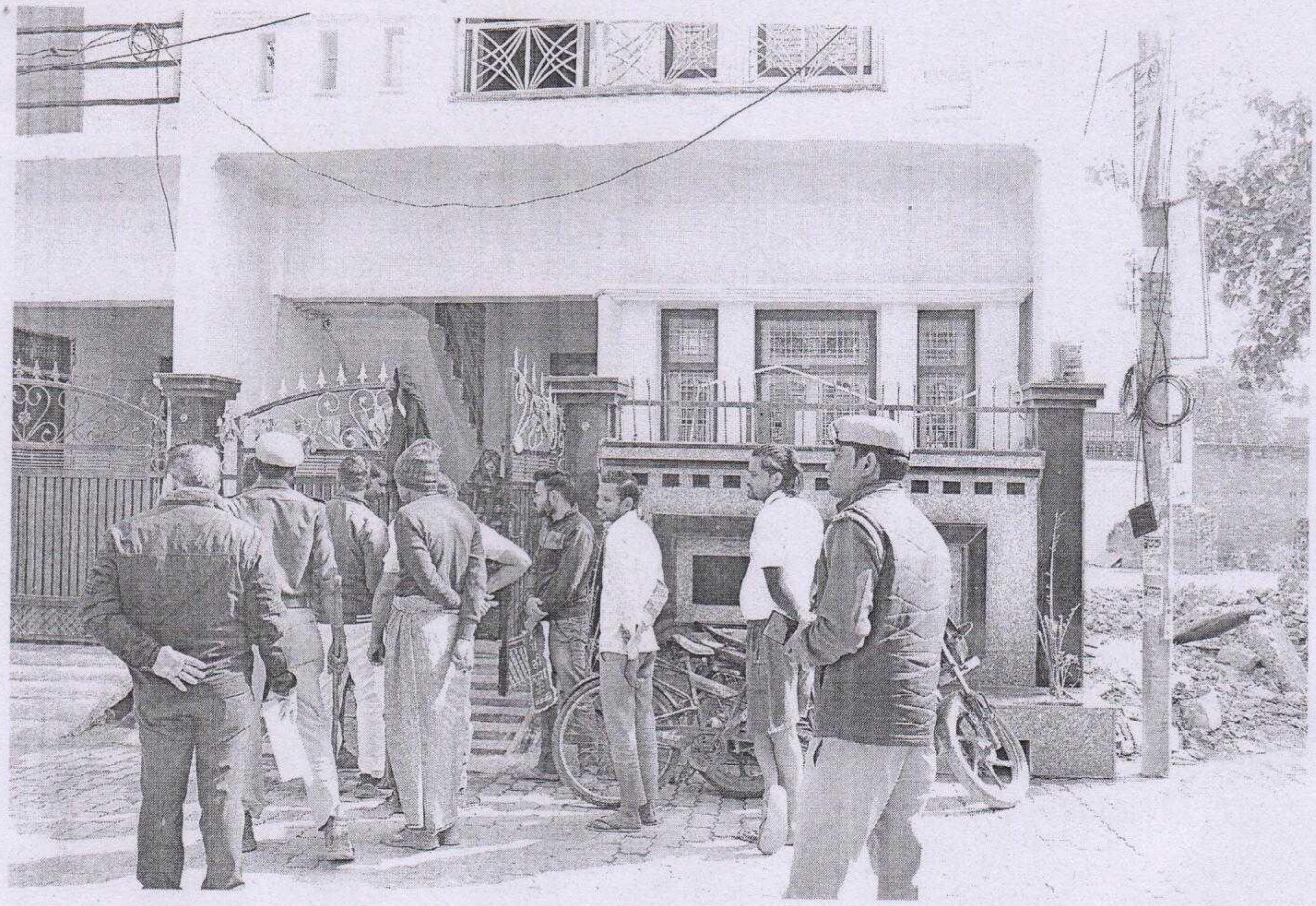

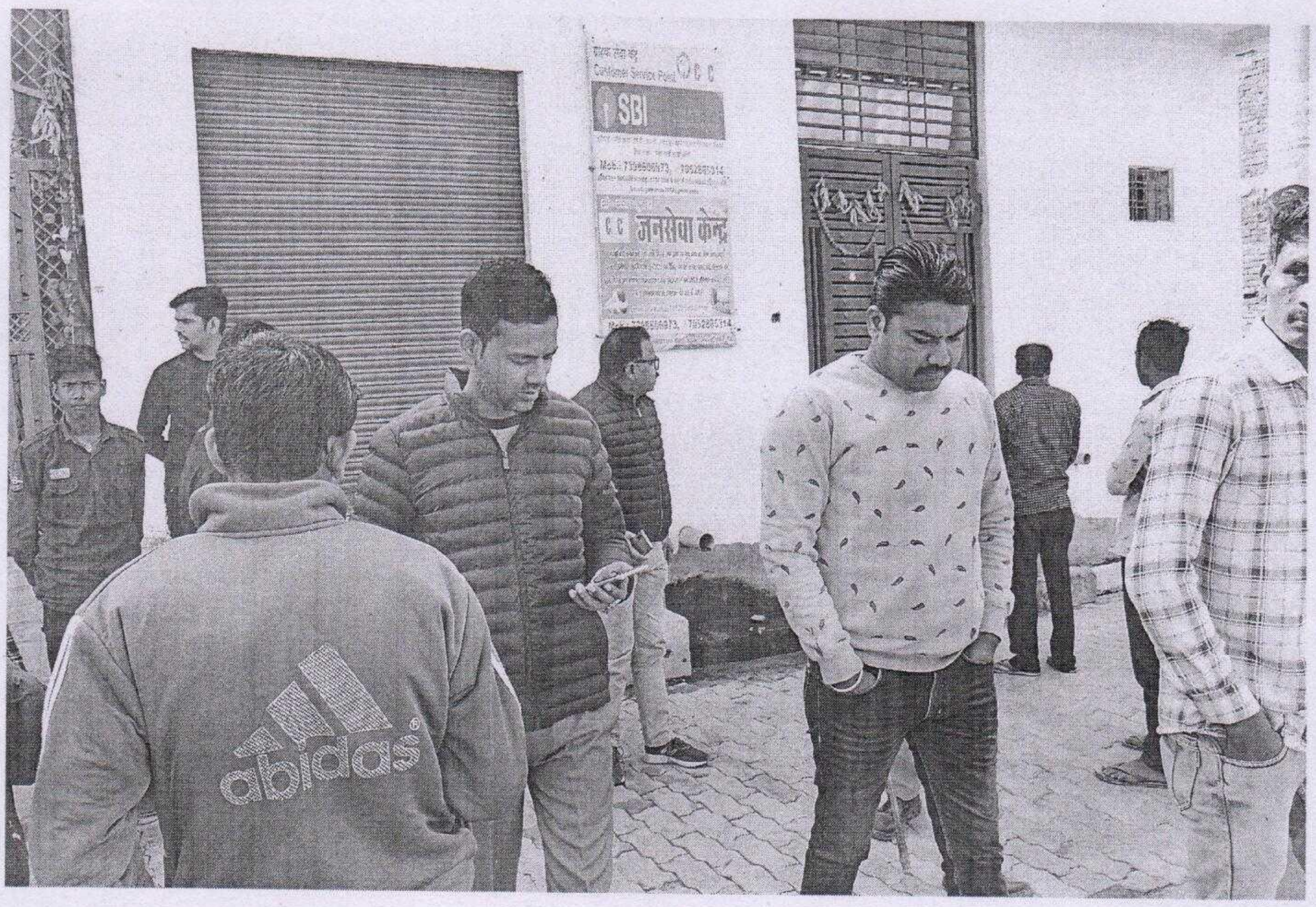
Customer Service Point
SBI
जनसेवा केन्द्र
abidas

निरीक्षण दि० 01/03/2023

Annexure-9

विषय–माननीय राष्टीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–918 / 2022(नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उ0प्र0राज्य)व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 02.01.2023 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उक्त के अनुपालन मे जिलाधिकारी महोदय, झॉसी के आदेश दिनॉक 04.01.2023 द्वारा उपरोक्त प्रकरण को संदर्भित किया गया है। उक्त के अनुक्रम में खतौनी के विवरण सहित बिन्दुवार आख्या निम्न है–

कमांक	मौजा	गाटा संख्या	राजस्व अभिलेखो में दर्ज भूमि की श्रेणी	स्थलीय निरीक्षण की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1	डडियापुरा	1136,1154,1155,1163,1164, 1165,1168,1206	श्रेणी–1(क)संक्रमणीय भूमिधर	आबादी बनी हुई है (आंशिक रूप से प्लाट / रास्ते में खाली है जिसका रकवा लगभग 0.111हे0 है)
2	पिछोर	908,909,910,911,912,917,932, 933,934,935,936,752,753,754, 755,817,818,819,820,821,826, 827,828,829,830,831,832,833, 834,835,836,837,838,839,840, 841,842,843,844	श्रेणी–1(क)संक्रमणीय भूमिधर	आबादी बनी हुई है (आंशिक रूप से प्लाट / रास्ते में खाली है जिसका रकवा लगभग 0.410हे0 है)
		760	श्रेणी–5–3(ड)अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	आबादी बनी हुई है।
		856	श्रेणी–6–2 अकृषिक भूमि–स्थल, सडके,रेलवे आदि	रास्ता बना हुआ है।
3	झॉसी खास	751	श्रेणी–1(क)संक्रमणीय भूमिधर	कब्रिस्तान बना हुआ है।
4	बूढा	38,123,132,133,297,298,300, 304,305	श्रेणी–1(क)संक्रमणीय भूमिधर	कृषि कार्य हो रहा है।
5	नयागॉव	560 / 8, 560 / 9	श्रेणी–1(क)संक्रमणीय भूमिधर	आबादी बनी हुई है (आंशिक रूप से प्लाट / रास्ते में खाली है

09.02.2023 रविन्द्र उपाध्याय ल क्षेत्र तहसील–झॉसी

09.02.2023 अनुज लेखपाल क्षेत्र तहसील–झॉसी

09.02.2023 अमित विश्वकर्मा लेखपाल क्षेत्र तहसील–झॉसी

Mukteshwar 09.02.2023 मुक्तेश्वर कुमार लेखपाल क्षेत्र तहसील–झॉसी

09/2/2023

9.2.23

				जिसका रकवा लगभग 0.096हे0 है)

क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा विवरण विवरण/आख्या चाही गयी है जो कि निम्न प्रकार है–

1.माननीय राष्टीय हरित अधिकरण द्वारा संदर्भित विचाराधीन ओ0ए0संख्या–918/2022**(नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उ0प्र0राज्य)** व अन्य में अंकित मौजा–डडियापुरा,पिछोर,बूढा,झॉसी खास एवं नयागॉव के संदर्भित आराजी संख्यावार आपके विभाग में दर्शाये गये भूमि के प्रकार के संबंध में विवरण उपलब्ध कराये।

<u>उत्तर</u>–मौजा पिछोर व डडियापुरा के उपरोक्त के आराजी नम्वरान श्रेणी–1–क में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व मौके पर आबादी बनी हुई है व आंशिक रूप से प्लाट/रास्ते में खाली है। मौजा झॉसी खास के आराजी नम्वर में कब्रिस्तान बना हुआ है जो कि संक्रमणीय भूमिधरी नम्वर में बना हुआ है व मौजा बूढा के उपरोक्त आराजी नम्वरों में कृषि कार्य हो रहा है जो कि संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कागजात है जो कि श्रेणी–1–क में दर्ज है व मौजा नयागॉव के आराजी नम्वरान श्रेणी–1–क में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व मौके पर आबादी बनी हुई है व आंशिक रूप से प्लाट/रास्ते में खाली है।

2.उपरोक्त सन्दर्भ में संयुक्त निरीक्षण दिनॉक 09.01.2023 को भू–खण्डों पर अद्तन स्थिति के संबंध में लिये गये फोटोग्राफ आदि को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उत्तर 2–फोटोग्राफ संलग्न है।

3.उपरोक्त संदर्भित आराजी संख्या में झॉसी महायोजना 2001 एवं 2021 में यदि हरित पट्टीका/पार्क अंकित है तो विवरण उपलब्ध करायें।

उत्तर 3–उपरोक्त बिन्दु राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है।

4.क्या उपरोक्त भू–खण्डों में कुल या आंशिक रूप से अनाधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण हुआ है तो विवरण उपलब्ध करायें।

उत्तर 4–उपरोक्त आराजी नम्वरान संक्रमणीय भूमिधर है व काश्तकारों के नाम दर्ज कागजात है अवैध/अनाधिकृत निर्माण की इसके पूर्व कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

5.उपरोक्त संदर्भित आराजी संख्याओं पर निर्मित भवनों का मानचित्र आपके स्तर से स्वीकृत किया गया है तो विवरण उपलब्ध करायें।

उत्तर 5–राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है।

6.उपरोक्त संदर्भित आराजी संख्याओं पर निर्मित भवनों का यदि मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया है तो आपके स्तर से उनके विरूद्व क्या कार्यवाहीं की गयी।

उत्तर 6–राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है।

अभिलेखीय एवं स्थलीय जॉच आख्या श्रीमान् जी की सेवा में प्रेषित है।

रविन्द्र उपाध्याय
लेखपाल क्षेत्र
तहसील-झाँसी

अनुज
लेखपाल क्षेत्र
तहसील-झाँसी

आशीष विश्वकर्मा
लेखपाल क्षेत्र
तहसील-झाँसी

मुक्तेश्वर कुमार
लेखपाल क्षेत्र
तहसील-झाँसी

तहसीलदार
झाँसी

संलग्नक–:

1–उपरोक्त मौजो की खतौनी।

2–फोटोग्राफ

09.02.2023
रविन्द्र उपाध्याय
लेखपाल क्षेत्र
तहसील–झाँसी
9.02.23

09.02.2023
अनुज डेंगरे
लेखपाल क्षेत्र
तहसील–झाँसी

09.02.2023

09.02.2023
मुक्तेश्वर कुमार
लेखपाल क्षेत्र
तहसील–झाँसी

9/2/2023

Teh
15.02.23
तहसीलदार
झाँसी

Annexure-10

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 02.01.2023 के अनुक्रम मे याचिकाकर्ता श्री नरेन्द्र कुशवाह (पर्यावरण, आर0टी0आई0 एवं सामाजिक कार्यकर्ता) द्वारा पृथक रूप से प्रेषित 10 बिन्दुओं की आपत्ति के सम्बन्ध मे सम्बन्धित विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही का तुलनात्मक विवरण।

क्रम	बिन्दु	विभाग का नाम	बिन्दुओं के सम्बन्ध मे दिनांक 08.02.2023 की बैठक के क्रम मे विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण।
1	यह कि अब्दुल करीम उर्फ सूके पुत्र हाजी खुदा बक्श व जफर राईन पुत्र हाजी अब्दुल करीम निवासी–325 इतवारीगंज, झाँसी, व अकरम पुत्र यासीन व मुहम्मद यासीन पुत्र वसीर, निवासी– 748/1 शिवाजी नगर तहसील व जिला झाँसी व के आर. टोकसे नि. होटल हाईवे के पीछे सीपरी बाजार झाँसी व श्रीमती गीता देवी पुत्री ग्याप्रसाद व पत्नी अरविन्द कुमार निवासी– 603 बाहर दतिया गेट झांसी व हरीदास व अर्जुन पुत्रगण स्व. भगवानदास निवासी– पिछोर, नारायण बाग के पास थाना नवाबाद, झांसी, आदि द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हुए झांसी महायोजना में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के हेतु प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, आदि एवं अन्य जन सुविधाओं के उपयोगी हेतु तहसील व जिला झांसी के मौजा– डंडियापुरा के आराजी संख्या 1136, 1154, 155, 1163, 1164, 1165, 1168, 1206 आदि व पिछोर के आराजी संख्या 908, 909, 910, 911, 912, 917, 932, 933, 934, 935, 936, 752, 753, 754, 755, 817, 818, 819, 820, 821, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 760, 856 3 मौजा– झांसी खास के आराजी संख्या 751 आदि व मौजा– वूढा के आराजी संख्या 38, 123, 132, 133, 297, 298, 300, 304, 305 आदि व मौजा– नयागाँव के आराजी संख्या 560/8, 560/9 और झांसी तहसील के अन्य मौजा सिमरावारी, खैलार, बिजौली, भोजला आदि के साथ–साथ झांसी जिले की अन्य तहसीलों व मौजों में प्रस्तावित भूमियों पर झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सांठगांठ कर गैर कानूनी रूप से अवैध प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं।	झांसी विकास प्राधिकरण, झासी।	प्रभारी अधिशाषी अभियन्ता, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी के पत्र दिनांक 13.02.2023 के अनुसार झांसी महायोजना–2021 मे प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित 1997 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 115 प्रकरणो पर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये है। वर्तमान मे कोई नया अनाधिकृत निर्माण नही हो रहा है। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–27 के अन्तगर्त चालानी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
2	यह कि झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, आदि एवं अन्य जन सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भूमियों को आवासीय भूमि दर्शाकर अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले अब्दुल करीम आदि झांसी प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों को घूस/सुविधा शुल्क देकर विकसित की जा रही उक्त अवैध कॉलोनियों में नियम–कानून, नीतियों व उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15 का उल्लंघन कर एवं शासकीय योजनाओं और सांसद, विधायक, पार्षद निधि और प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी का दुरुपयोग गैर कानूनी रूप से बिजली–पानी और सड़क आदि के विकास कार्य करायें जा रहे पक्के आवास बनवाऐं जा रहे तथा बिजली, पानी के कनेक्शन दिए जा रहे है।	झांसी विकास प्राधिकरण, झासी।	प्रभारी अधिशाषी अभियन्ता, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी के पत्र दिनांक 13.02.2023 के अनुसार झांसी महायोजना–2021 मे प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित 1997 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 115 प्रकरणो पर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये है। वर्तमान मे कोई नया अनाधिकृत निर्माण नही हो रहा है। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–27 के अन्तगर्त चालानी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

		उपजिलाधिकारी, झांसी।	मौजा पिछोर व डडियापुरा के उपरोक्त के आराजी नम्वरान श्रेणी–1–क मे संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व मौके पर आबादी बनी हुई है व आंशिक रूप से प्लाट/रास्ते मे खाली है। मौजा झांसी खास के आराजी नम्बर मे कब्रिस्तान बना हुआ है जोकि संक्रमणीय भूमिधरी नम्बर मे बना हुआ है व मौजा बूढ़ा के उपरोक्त आराजी नम्बरों मे कृषि कार्य हो रहा है जोकि संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज कागजात है जोकि श्रेणी–1–क मे दर्ज है व मौजा नयागॉव के आराजी नम्बरान श्रेणी–1–क मे संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व मौके पर आबादी बनी हुई है व आंशिक रूप से प्लाट/रास्ते में खाली है।
3	यह कि महायोजनाओं में प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, आदि अन्य जन सुविधाओं के हेतु प्रस्तावित भूमियों के अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियों की रोकथाम और उन्हे हटाये जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा बार बार आदेश जारी किये गये एवं राज्य सरकार द्वारा शासनादेश जारी कर दिशा–निर्देश दिये गये है। तथा झांसी विकास प्राधिकरण से बिना अनुमति एवं बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण किये जाने पर उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अधीन कार्यवाही का प्राविधान है, इसके बावजूद भी झांसी, प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त भूमियों के अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियों की रोकथाम और उन्हें हटाये जाने की कार्यवाही करने के बजाये घूस/ सुविधा शुल्क लेकर अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियां विकसित करायी जा रही है।	झांसी विकास प्राधिकरण, झासी।	प्रभारी अधिशाषी अभियन्ता, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी के पत्र दिनांक 13.02.2023 के अनुसार झांसी महायोजना–2021 मे प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित 1997 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 115 प्रकरणो पर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये है। वर्तमान मे कोई नया अनाधिकृत निर्माण नही हो रहा है। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–27 के अन्तगर्त चालानी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
		उपजिलाधिकारी, झांसी।	मौजा पिछोर व डडियापुरा के उपरोक्त के आराजी नम्वरान श्रेणी–1–क मे संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व मौके पर आबादी बनी हुई है व आंशिक रूप से प्लाट/रास्ते मे खाली है। मौजा झांसी खास के आराजी नम्बर मे कब्रिस्तान बना हुआ है जोकि संक्रमणीय भूमिधरी नम्बर मे बना हुआ है व मौजा बूढ़ा के उपरोक्त आराजी नम्बरों मे कृषि कार्य हो रहा है जोकि संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज कागजात है जोकि श्रेणी–1–क मे दर्ज है व मौजा नयागॉव के आराजी नम्बरान श्रेणी–1–क मे संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व मौके पर आबादी बनी हुई है व आंशिक रूप से प्लाट/रास्ते में खाली है।

4	यह कि झांसी प्रशासन के अधिकारियों की ओर से घूस लेकर उक्त अवैध कॉलोनियों में नियम–कानून व नीतियों का उल्लंघन कर एवं शासकीय योजनाओं का दुरुपयोग कर गैर कानूनी रूप से झांसी विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना बिजली–पानी और सड़क आदि के विकास कार्य करायें जा रहे तथा बिजली, पानी के कनेक्शन दिए जा रहे है जब कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी विकास एवं निर्माण कार्य किए जाने से पूर्व उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।	उपजिलाधिकारी, झांसी।	मौजा पिछोर व डडियापुरा के उपरोक्त के आराजी नम्वरान श्रेणी–1–क मे संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व मौके पर आबादी बनी हुई है व आंशिक रूप से प्लाट/रास्ते मे खाली है। मौजा झांसी खास के आराजी नम्बर मे कब्रिस्तान बना हुआ है जोकि संक्रमणीय भूमिधरी नम्बर मे बना हुआ है व मौजा बूढ़ा के उपरोक्त आराजी नम्बरों मे कृषि कार्य हो रहा है जोकि संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज कागजात है जोकि श्रेणी–1–क मे दर्ज है व मौजा नयागॉव के आराजी नम्बरान श्रेणी–1–क मे संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व मौके पर आबादी बनी हुई है व आंशिक रूप से प्लाट/रास्ते में खाली है।
5	यह कि महायोजनाओं में प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, आदि अन्य जन सुविधाओं के हेतु प्रस्तावित भूमियों के अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियों की रोकथाम और उन्हे हटाये जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा बार–बार आदेश जारी किये गये है एवं उक्त आदेशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश जारी कर दिशा–निर्देश दिये गये है कि स्थानीय निकायोंधविकास प्राधिकरणों द्वारा अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र से संबंधित पार्कों, खेल के मैदानों, खुली जगहों आदि के संबंध में सूची तैयार करने और सूची में पार्कों, खेल के मैदानों, खुली जगहों आदि की 'वार्डवार/क्षेत्रवार क्रम संख्या, नाम, अवस्थिति, आकार क्षेत्रफल तथा अन्य सुसंगत सूचनायें... तथा सूची रेखांकन मानचित्र, अभिलेख व भू–अभिलेख स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण के अभिलेख कक्ष में निरीक्षण हेतु रखने एवं वेबसाइट पर अपलोड कर जनता को उपलब्ध करायें।	झांसी विकास प्राधिकरण।	प्रभारी अधिशाषी अभियन्ता, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी के पत्र दिनांक 13.02.2023 के अनुसार झांसी महायोजना–2021 मे प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि की रिक्त भूमि पर निर्माण कार्य न हो तथा भूमि के विक्रय को रोकने के उद्देश्य से स्थिल की रिक्त भूमि पर कई स्थलो पर साइन बोर्ड लगाये गये है।
6	यह कि जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणामों से देश को बचाने हेतु केंन्द्र व राज्य सरकार की और से लगातार पर्यावरण संरक्षण बचाने और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है तथा दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है।		
7	यह कि हरित पट्टी, पार्क, आदि एवं अन्य जन सुविधाओं के हेतु प्रस्तावित भूमियों को आवासीय भूमि दर्शाकर अधिकारियों से सांठगांठ कर गैर कानूनी रूप से अवैध प्लॉटिंग कर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के कारण झांसी महानगर में हरियाली/भूजल का स्तर गिरता जा रहा है जिससे महानगर में स्वच्छ वायु और पानी की भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। महानगर को स्वच्छ वायु न मिलने के कारण वायु प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है, वायु प्रदूषण बढ़ने से लोगों को कई तरह की जानलेवा गंभीर बीमारियां हो रही है।	झांसी विकास प्राधिकरण, झासी।	प्रभारी अधिशाषी अभियन्ता, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी के पत्र दिनांक 13.02.2023 के अनुसार झांसी महायोजना–2021 मे प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित 1997 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 115 प्रकरणो पर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये है। वर्तमान मे कोई नया अनाधिकृत निर्माण नही हो रहा है। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–27 के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

8	यह कि हरित पट्टी, पार्क, आदि एवं अन्य जन सुविधाओं के हेतु प्रस्तावित भूमियों पर अनाधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियां विकसित कराने तथा शासकीय योजनाओं का दुरुपयोग कर बिजली–पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराने व बिजली, पानी के कनेक्शन देने वाले भ्रष्ट कर्मचारियों–अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न होने के कारण लगातार उपरोक्त भूमियों पर अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियां विकसित की जा रही है।		
9	यह कि माननीय न्यायालयों एवं शासनादेशों के बावजूद झांसी प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से उक्त शासनादेशों के क्रम में आज तक कार्यवाही नहीं गई जिसका लाभ उठाकर भू–माफिया एवं अब्दुल करीम आदि द्वारा प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, आदि एवं अन्य जन सुविधाओं के हेतु प्रस्तावित भूमियों को आवासीय भूमि दर्शाकर प्लॉट काटकर बेचा जा रहा और अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही है ।	झांसी विकास प्राधिकरण, झासी।	प्रभारी अधिशाषी अभियन्ता, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी के पत्र दिनांक 13.02.2023 के अनुसार झांसी महायोजना–2021 मे प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि की रिक्त भूमि पर निर्माण कार्य न हो तथा भूमि के विक्रय को रोकने के उद्देश्य से स्थिल की रिक्त भूमि पर कई स्थलो पर साइन बोर्ड लगाये गये है।
		उपजिलाधिकारी, झांसी।	मौजा पिछोर व डडियापुरा के उपरोक्त के आराजी नम्वरान श्रेणी–1–क मे संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व मौके पर आबादी बनी हुई है व आंशिक रूप से प्लाट/रास्ते मे खाली है। मौजा झांसी खास के आराजी नम्बर मे कब्रिस्तान बना हुआ है जोकि संक्रमणीय भूमिधरी नम्बर मे बना हुआ है व मौजा बूढ़ा के उपरोक्त आराजी नम्बरों मे कृषि कार्य हो रहा है जोकि संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज कागजात है जोकि श्रेणी–1–क मे दर्ज है व मौजा नयागॉव के आराजी नम्बरान श्रेणी–1–क मे संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व मौके पर आबादी बनी हुई है व आंशिक रूप से प्लाट/रास्ते में खाली है।
10	यह कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण के बुरे परिणामों से बचाने हेतु महायोजनाओं में प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, खेल के मैदान, खुली जगह आदि की भूमियों को आवासीय भूमि दर्शाकर प्लॉट काटकर बेचने और अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के विरुद्ध तथा उक्त भूमियों के अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियों में नियम–कानून व नीतियों का उल्लंघन कर एवं शासकीय योजनाओं व सांसद, विधायक, पार्षद निधि का दुरुपयोग कर गैर कानूनी रूप से बिजली–पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराने व बिजली, पानी के कनेक्शन देने वाले तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास बनवाने वाले भ्रष्ट कर्मचारियों–अधिकारियों के	झांसी विकास प्राधिकरण, झासी।	प्रभारी अधिशाषी अभियन्ता, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी के पत्र दिनांक 13.02.2023 के अनुसार झांसी महायोजना–2021 मे प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि की रिक्त भूमि पर निर्माण कार्य न हो तथा भूमि के विक्रय को रोकने के उद्देश्य से स्थिल की रिक्त भूमि पर कई स्थलो पर साइन बोर्ड लगाये गये है।

	विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।	उपजिलाधिकारी, झांसी।	मौजा पिछोर व डडियापुरा के उपरोक्त के आराजी नम्वरान श्रेणी–1–क मे संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व मौके पर आबादी बनी हुई है व आंशिक रूप से प्लाट/रास्ते मे खाली है। मौजा झांसी खास के आराजी नम्बर मे कब्रिस्तान बना हुआ है जोकि संक्रमणीय भूमिधरी नम्बर मे बना हुआ है व मौजा बूढ़ा के उपरोक्त आराजी नम्बरों मे कृषि कार्य हो रहा है जोकि संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज कागजात है जोकि श्रेणी–1–क मे दर्ज है व मौजा नयागॉव के आराजी नम्बरान श्रेणी–1–क मे संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है व मौके पर आबादी बनी हुई है व आंशिक रूप से प्लाट/रास्ते में खाली है।
		वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी।	उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि बिन्दु संख्या–10 में दर्शायें गये थाना कोतवाली में स्थित मौज–डडियापुरा व झांसी खास, थाना नवाबाद में स्थित मौजा–पिछोर, थाना सीपरी बाजार में स्थित मौजा बूढ़ा व भोजला, थाना प्रेमनगर में स्थित मौजा बिजौली व नया गांव एवं थाना बबीना में स्थित मौजा खैलार व सिमरावारी में उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी भी स्तर से कोई भी प्रार्थना पत्र/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही अभियोग पंजीकृत है। थाना प्रभारी कोतवाली, नवाबाद, सीपरी बाजार, प्रेमनगर एवं बबीना, झांसी से प्राप्त आख्यानुसार सूचना शून्य है।

संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.01.2023

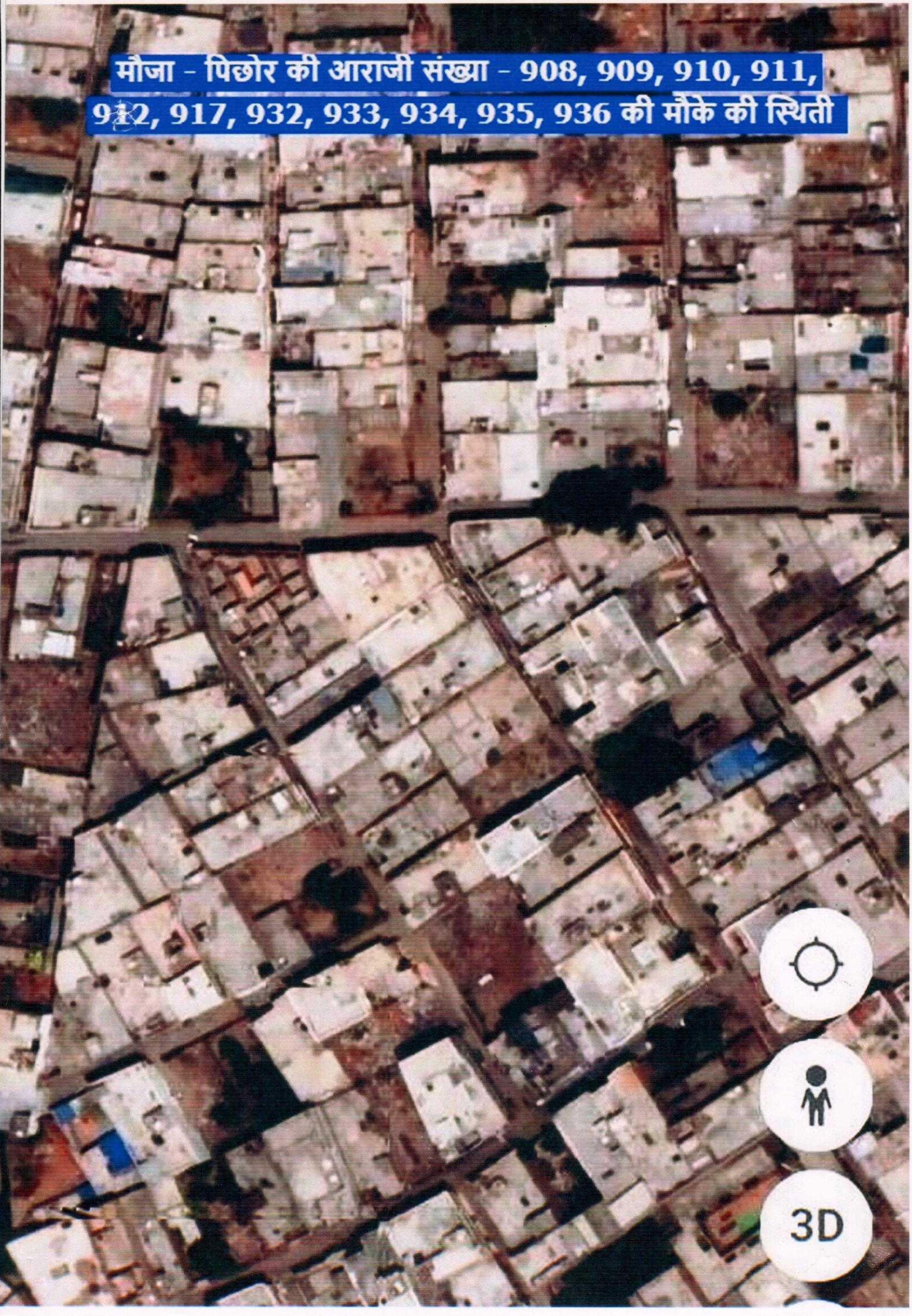
मौजा - पिछोर की आराजी संख्या - 908, 909, 910, 911,
912, 917, 932, 933, 934, 935, 936 की मौके की स्थिती
3D

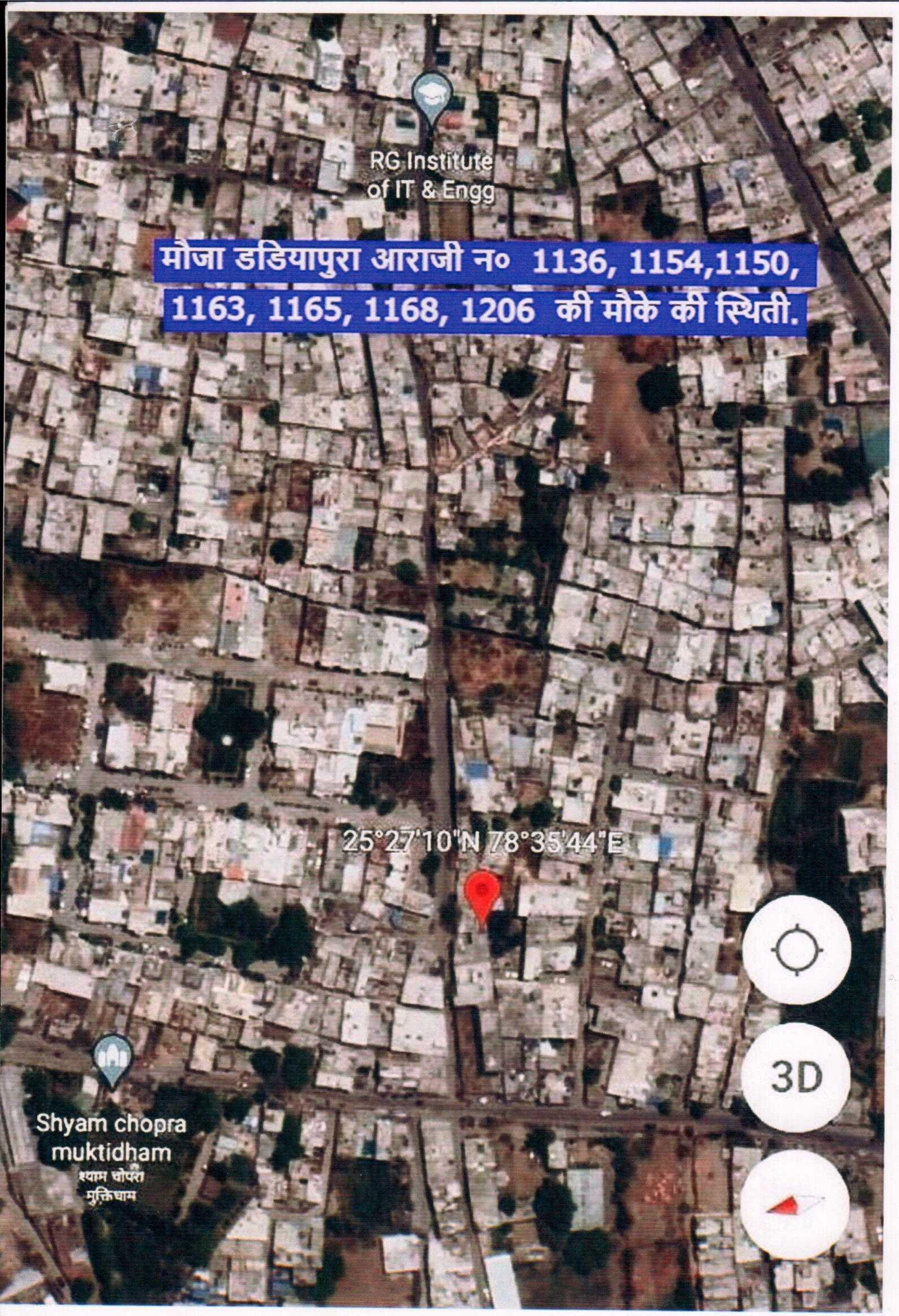
RG Institute of IT & Engg
मौजा डडियापुरा आराजी न० 1136, 1154,1150,
1163, 1165, 1168, 1206 की मौके की स्थिती.
25°27'10"N 78°35'44"E
3D
Shyam chopra muktidham
श्याम चोपरा मुक्तिधाम

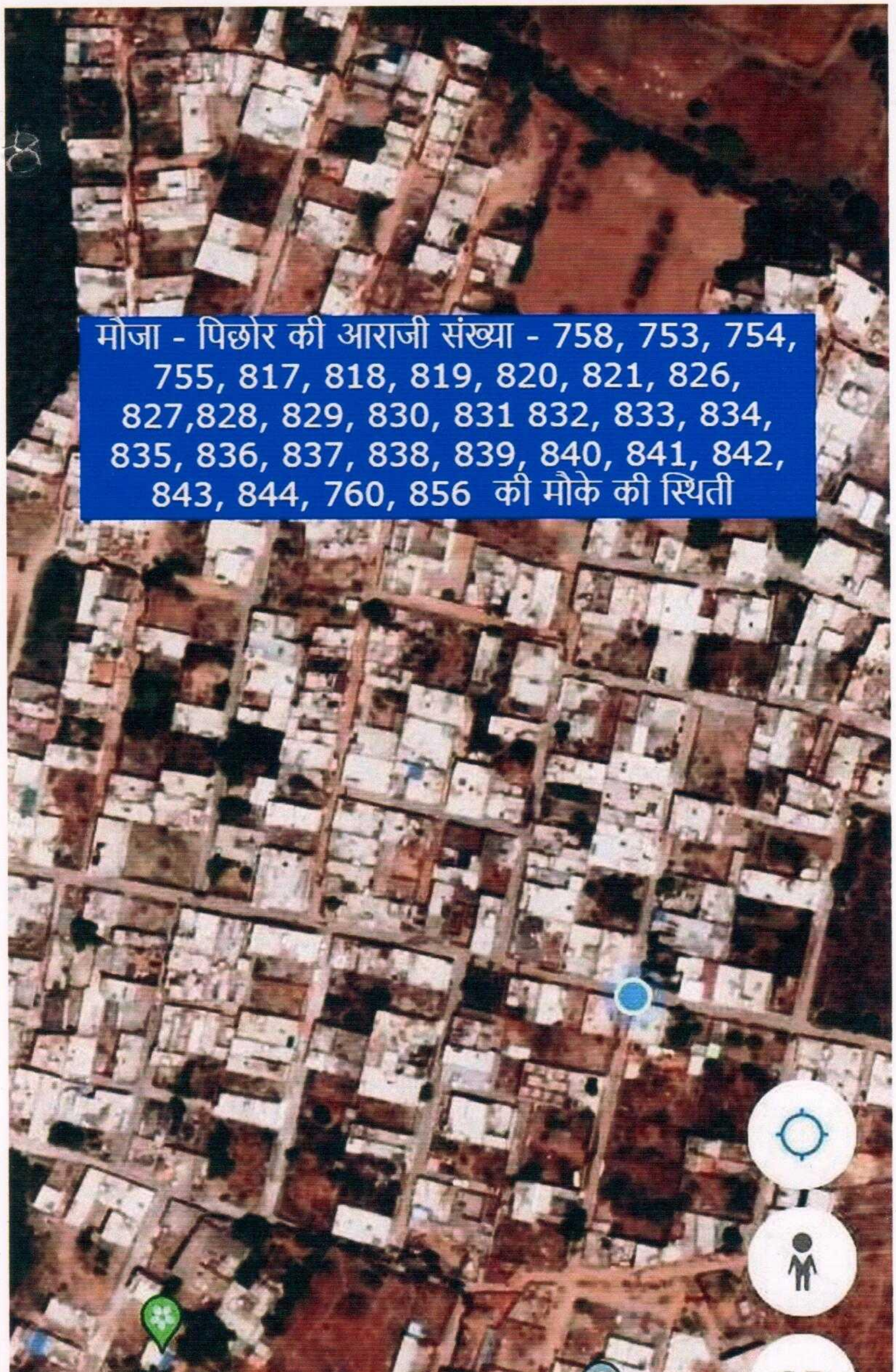

(25°27'55"N 78°36'04"E) 1.16 km

मौजा - झाँसी खास आराजी संख्या 751

मौजा - ग्राम बूढा

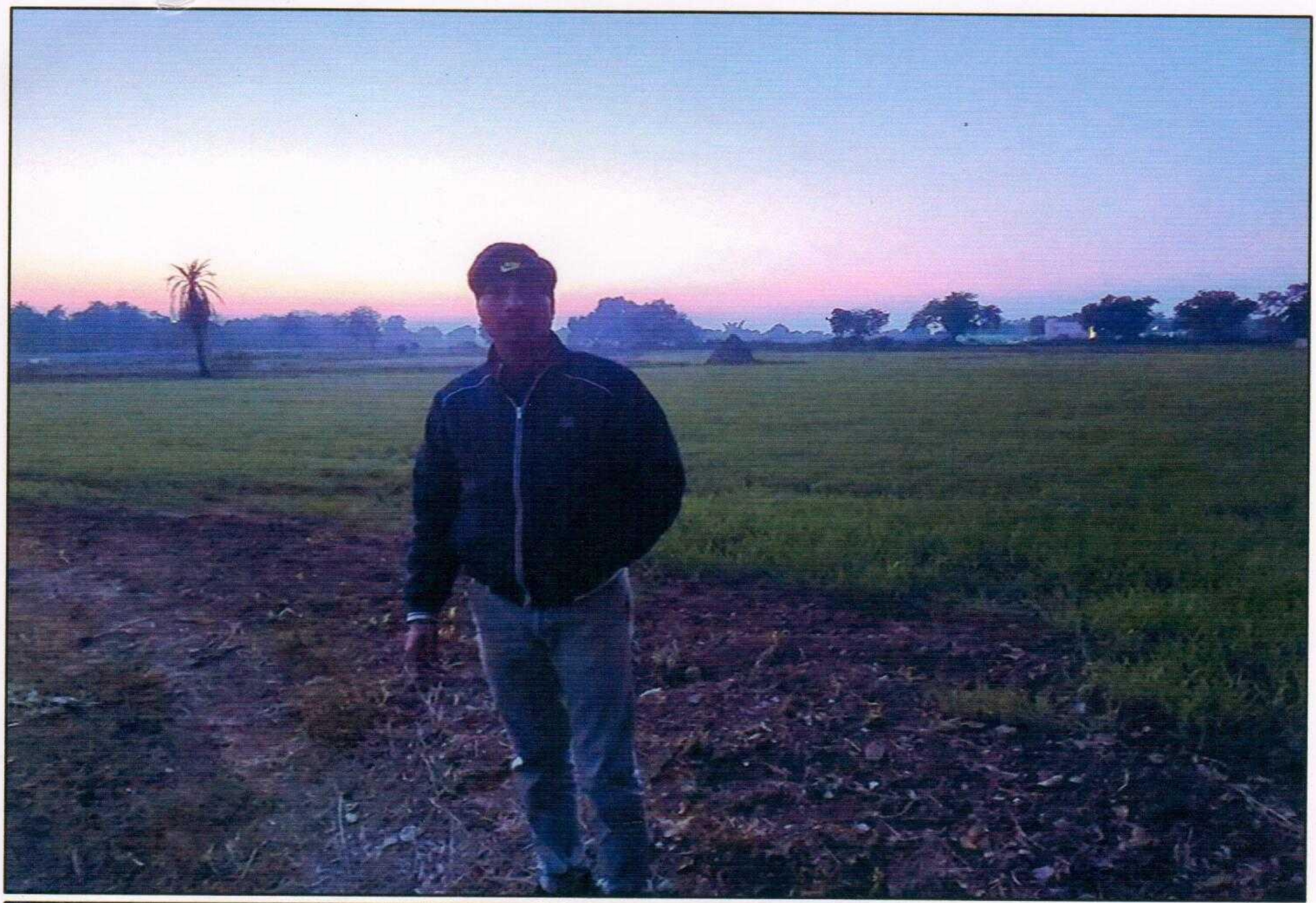

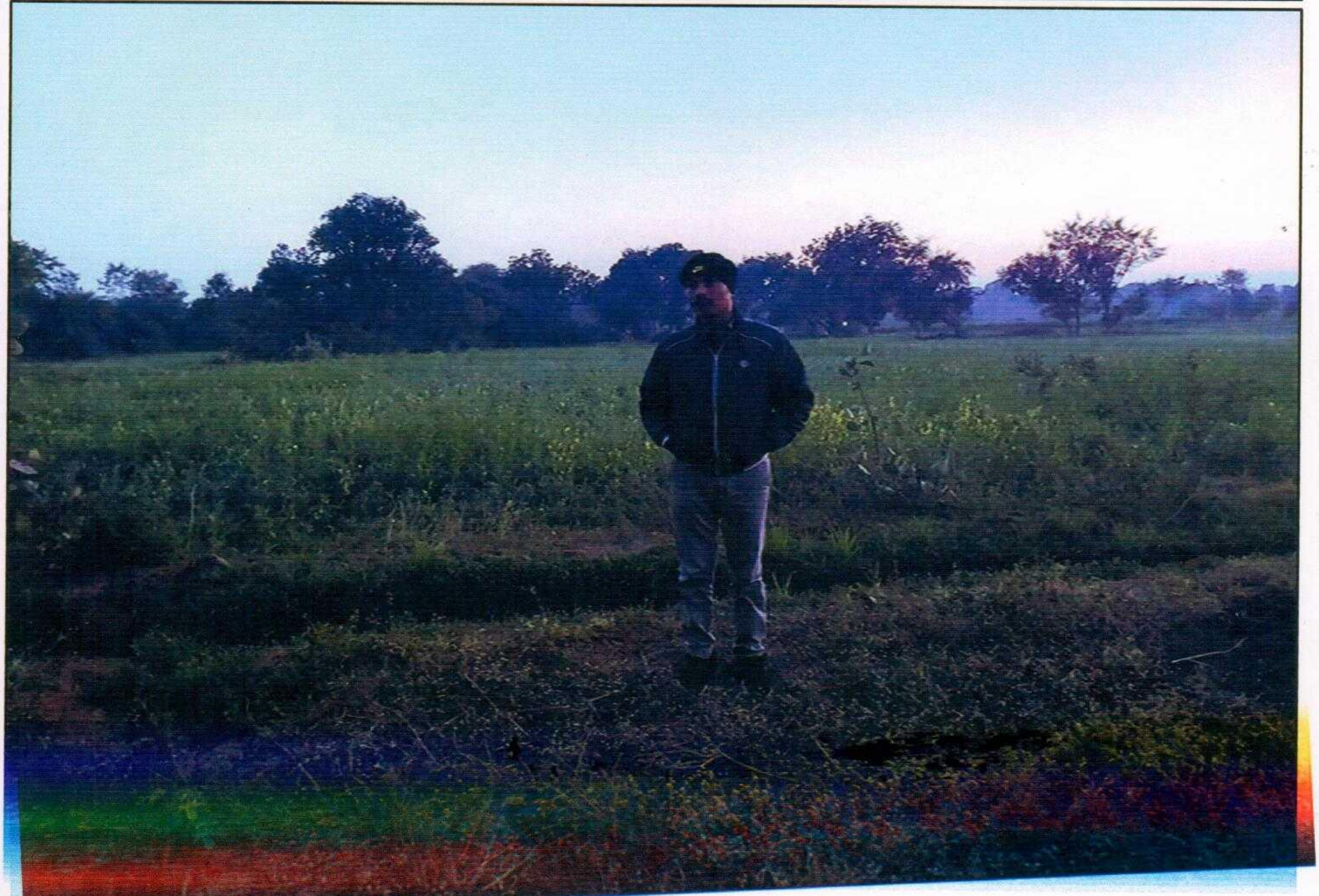

मौजा - ग्राम बूढा

मौजा - ग्राम बूढा

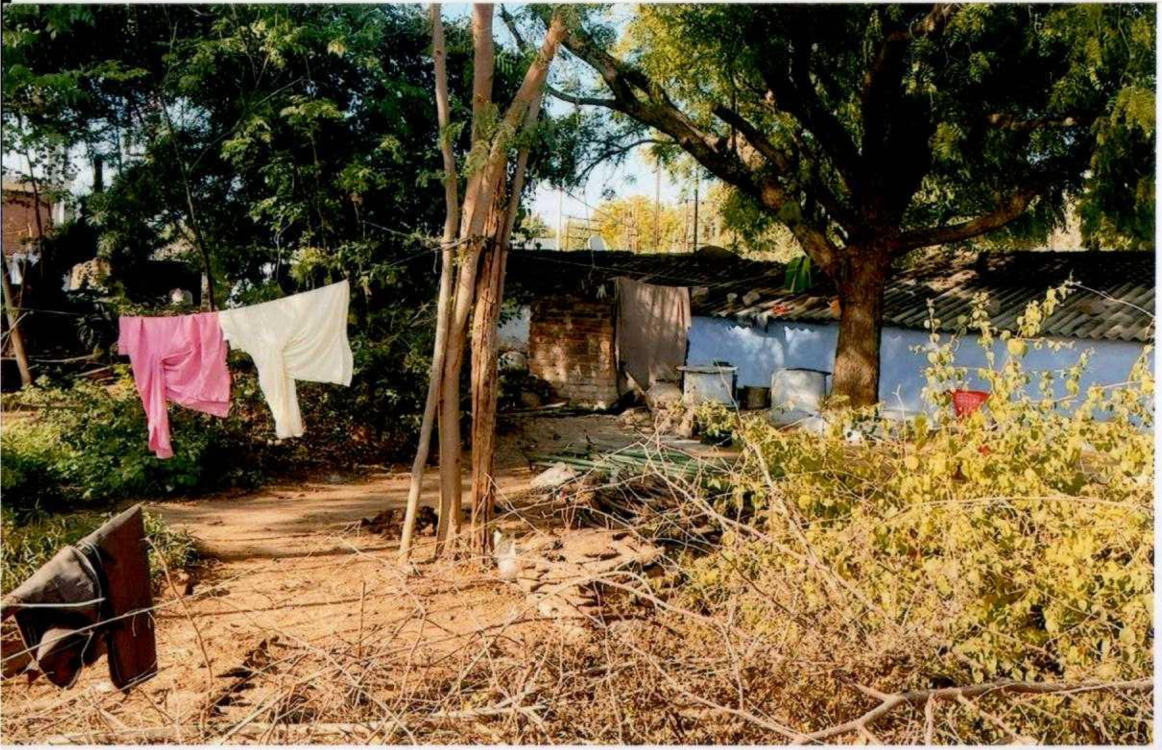

मौजा - नयागाँव

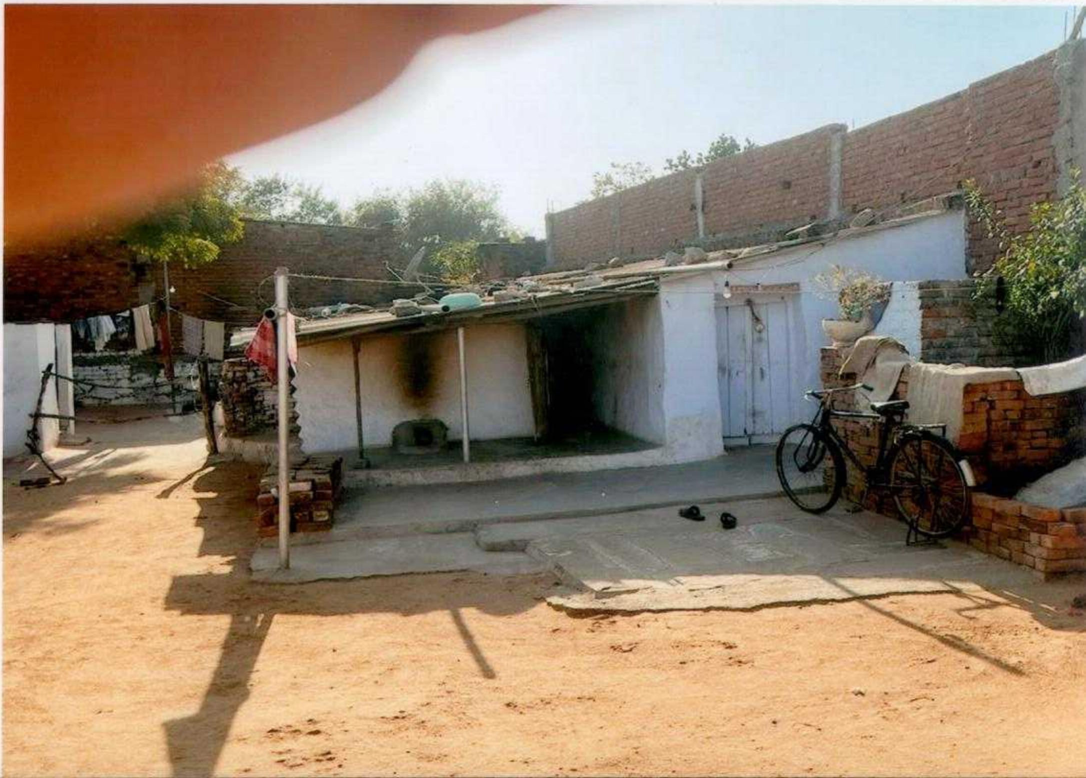

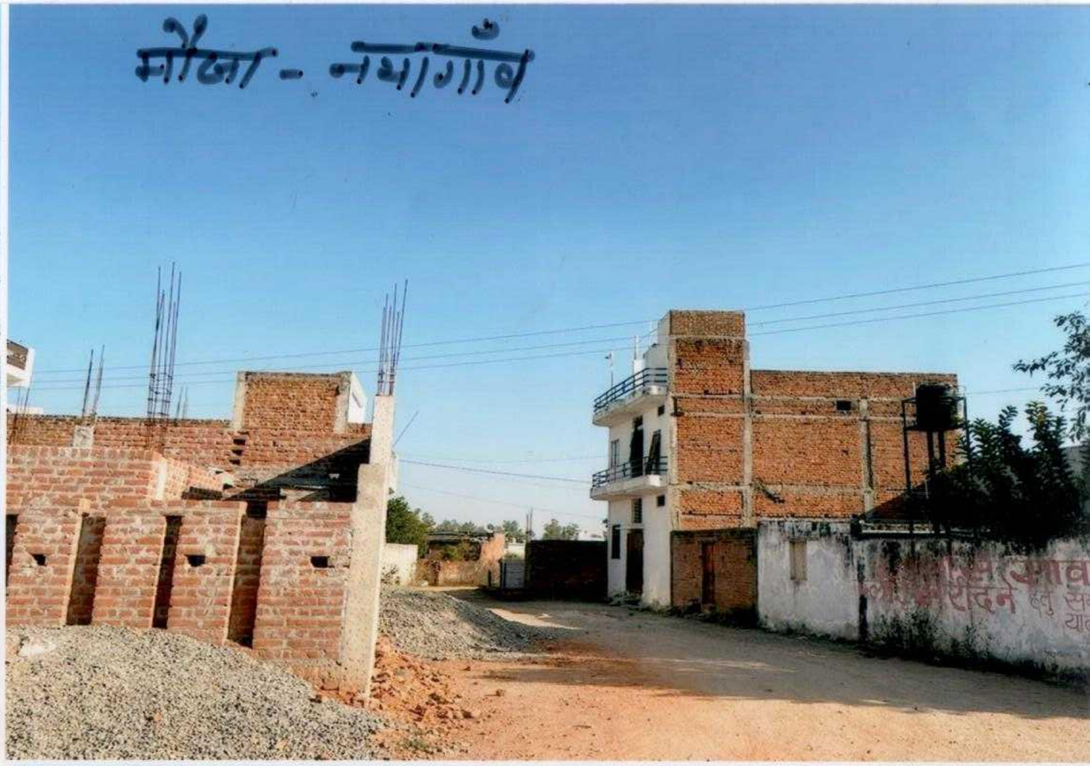
मौजा - नयागाँव

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झाँसी।

पत्रांकःपैरवी सेल/2023(सूचना) दिनांकःफरवरी 24 ,2023।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

<u>जनपद झाँसी।</u>

कृपया आप अपने पत्र संख्याः691/OA-918/NGT/23 दिनांकः18.01.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 संख्याः918/2022(नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य) व अन्य में दिनांकः02.01.2023 को पारित आदेश के क्रम में याचिकाकर्ता श्री नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्नालाल कुशवाहा निवासी पिछोर थाना नवाबाद, झाँसी द्वारा 10 बिन्दुओं की शिकायत मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उक्त प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस विभाग से सम्बन्धित बिन्दु संख्याः10 की सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। आपेक्षित सूचना निम्नवत् हैः-

"जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण प्रदूषण के बुरे परिणामो से बचाने हेतु महायोजनाओं में प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, खेल के मैदान, खुली जगह आदि की भूमि को आवासीय भूमि दर्शाकर प्लाट काटकर बैचने और अवैध कालोनियाँ विकसित करने वालो के विरुद्ध तथा उक्त भूमियों के अनाधिकृत निर्माण, अतिक्रमण व कालोनियों में नियम कानून व नीतियों का उल्लंघन कर एवं शासकीय योजनाओं व सांसद, विधायक, पार्षद निधि का दुरूपयोग कर गैर कानूनी रूप से बिजली-पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराने व बिजली पानी के कनेक्शन देने वाले तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास बनवाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर से कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है"।

उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि बिन्दु संख्याः01 मे दर्शाये गये थाना कोतवाली में स्थित मौजा-डडियापुरा व झाँसी खास, थाना नवाबाद में स्थित-मौजा पिछोर, थाना सीपरी बाजार में स्थित मौजा बूढ़ा व भोजला, थाना प्रेमनगर में स्थित मौजा बिजौली व नया गाँव एवं थाना बबीना में स्थित मौजा खैलार व सिमरावारी में उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी भी स्तर से कोई भी प्रार्थना पत्र/शिकायत प्राप्त नही हुई है और न ही अभियोग पंजीकृत है। थाना प्रभारी कोतवाली, नवाबाद, सीपरी बाजार, प्रेमनगर एवं बबीना, झाँसी से प्राप्त आख्यानुसार सूचना शून्य है।

सूचना सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
झाँसी।

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं0 ....
Ref. No. 773/OA-918/NGT/23

दिनांक 13.01. 2023
Date......................20

सेवा मे,

श्रीमान् जिलाधिकारी,
जनपद–झांसी।

विषय : **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–918/2022 (नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य) व अन्य में पारित आदेश दिनांक दिनांक 02.01.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, उक्त के सम्बन्ध मे आप द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–62/23–स्था0ली0–एन0जी0टी0/2022–23 दिनांक 31.01.2023 के माध्यम से समिति गठित की गयी है, उक्त सम्बन्ध मे सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी से कई बार सम्पर्क किया गया है एवं मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 02.01.2023 मे अंकित तथ्यों के संबंघ मे प्रारम्भिक रिर्पोट देने हेतु अनुरोध किया गया है, किन्तु उनके द्वारा वर्तमान तक कोई भी लिखित तथ्यात्मक रिर्पोट उपलब्ध नही करायी गयी है, बल्कि अवगत कराया गया है कि उक्त के संबंध मे कार्यवाही चल रही है, जबकि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के सम्बन्धित अंश निम्नवत् है :–

"In our view before taking any further action in the matter, let a factual report be obtained from the concerned authorities for which purpose we constitute a committee comprising of District Magistrate, Jhansi and State PCB. Committee may visit the site and submit a factual report in the matter within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance".

उक्त के अनुसार मा0 अधिकरण को मात्र Factual Report दो माह के अन्दर प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुये है, दो माह का समय व्यतीत होना निकट है किन्तु सम्बन्धित विभाग द्वारा Factual Report भी वर्तमान तक उपलब्ध नही करायी गयी है। कृप्या सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करे, सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(दीपा अरोरा)
o/c क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं0 / Ref. No. 743/OA-918/NGT/23

दिनांक / Date 06.02.2023

सेवा मे,

1. उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण झांसी।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी।
3. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) झांसी।
4. तहसीलदार, झांसी।

विषय : **मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–918/2022 (नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य) व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 के सम्बन्ध मे**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 न्यायालय के निर्देशो के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदय, झांसी के पत्रांक–62/23–स्था0नि0लि0–एनजीटी/2022–23 दिनांक 31.01.2023 द्वारा गठित समिति की बैठक कार्यालय जिलाधिकारी, झांसी के पूर्व प्रेषित पत्रांक–30/23–स्था0नि0लि0–एनजीटी/2022–23 दिनांक 24.01.2023 द्वारा उक्त बैठक गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य समीक्षा बैठक के साथ ही दिनांक 06.02.2023 को साय 04:00 बजे कार्यालय जिलाधिकारी, झांसी पर बैठक आहूत की गयी है, सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

Deepa 6.2.23

(दीपा अरोरा)
क्षेत्रीय अधिकारी

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–918 / 2022 (नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य) व अन्य मे दिनांक 06.02.2023 को जिलाधिकारी कार्यालय मे अपरान्ह 16:00 बजे आहूत जिलाधिकारी महोदय, झांसी की अध्यक्षता मे प्रतिभाग किये गये अधिकारियो की उपस्थिति का विवरण।

क्रम सं0	नाम एवं पदनाम	विभाग का नाम	मो0 संख्या	ई–मेल	हस्ताक्षर
1		DM, Jhansi			
2	आलोक यादव	JDA	9889063999		
3		Nagar Nigam Jhansi			
4	S.K. Pandey	ADM (N.G.)	9454418934		[signature]
5	Deepa (R.O)	RO, PCB, Jhansi	9891446353	rojhansi@uppcb.in	Deepa
6		Tehsildar Sadar			
7	Dinesh	Sec (JDA)	7704004141		[signature]
8	Mukesh Pal Singh EE	Jal Nigam	9473942722		[signature]
9	Mohammad Qumar	AML	8808053862		[signature]